सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण

B.S.T.C. (D.El.Ed.)

(प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए)

पाठ्यक्रम
द्वितीय वर्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण

B.S.T.C. (D.El.Ed.)

(प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए)

पाठ्यक्रम

द्वितीय वर्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

मुख्य संरक्षक

माननीय श्री वासुदेव देवनानी
शिक्षा मंत्री
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर

श्री कुंजी लाल मीणा
शासन सचिव
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

श्री नरेशपाल गंगवार
शासन सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

संरक्षक

श्री बाबुलाल मीणा
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

मुख्य मार्गदर्शक

श्रीमती विनीता बोहरा
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

मार्गदर्शक

श्रीमती रश्मि भार्गव
विभागाध्यक्ष
शिक्षक शिक्षा विभाग
एसआईईआरटी, उदयपुर

प्रभारी

डॉ. रतन पुरी गोस्वामी
अनुसंधान सहायक
शिक्षक शिक्षा विभाग
एसआईईआरटी, उदयपुर

श्रीमती दीपिका पंड्या
अनुसंधान सहायक
शिक्षक शिक्षा विभाग
एसआईईआरटी, उदयपुर

कम्प्यूटर कार्य

शिवराज यादव

गिरजा शंकर घारू

ICICI Foundation
for Inclusive Growth

प्रकाशन वर्ष – 2015

प्रतियाँ – 1000

आमुख

बदलते परिदृश्य के सापेक्ष शिक्षक के दायित्वों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। एन.सी.एफ. 2005 में शिक्षा और शिक्षण संप्रत्यय की वृहत् समीक्षा की गई है। एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 में शिक्षक शिक्षा के प्रतिमानों को अद्यतन आवश्यकताओं र परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। बी.एस.टी.सी की नवनिर्मित पाठ्यचर्या को प्रासंगिक बदलावों व ौतियों को संदर्भ में रखते हुए नवीन स्वरूप दिया गया है।

इस हेतु देश के शिक्षा के क्षेत्र में संबद्ध विद्वानों के साथ मिलकर वर्ष 2006 में बने राजस्थान के बी.एस.टी.सी. .El.Ed.) पाठ्यचर्या में उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखा गया था, परंतु नवीनतम परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें कई दलाव जो स्वाभाविक रूप से वांछित थे, इस नवीन पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम में समाहित कर प्रकाशित किया जा रहा है। इस दर्भ में बी.एस.टी.सी. (D.El.Ed.) के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किये हैं।

पाठ्यक्रम बदलाव के समानांतर 'इंटर्नशिप' की प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी व प्रयोजनीय बनाने हेतु एसआईईआरटी, दयपुर एवं आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इनक्लुसिव ग्रोथ (आई.एफ.आई.जी.) के संयुक्त प्रयास द्वारा बी.एस.टी.सी. वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। इसे बनाने में समर्पित विद्वज्जनों ने टीम भावना से अथक प्रयास किए हैं ी सराहनीय तो हैं ही, साथ ही अमूल्य भी हैं।

इस पाठ्यक्रम के निर्माण में संपूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले एसआईईआरटी, उदयपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्थानों, निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विषय विशेषज्ञ, विद्यालयों के शिक्षक, आई.एफ.आई.जी., शिक्षा के क्षेत्र में ार्यरत गैर सरकारी संस्थान एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी विद्वज्जन बधाई के पात्र हैं। मैं क्तिगत रूप से पूर्णतः आशान्वित हूँ तथा विश्वास व्यक्त करती हूँ कि यह पाठ्यक्रम भावी शिक्षकों के व्यावहारिक आयामों ी प्रभावी बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में अतुलनीय सहयोग करेगा।

विनीता बोहरा
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर

अनुक्रमणिका

भाग – (क) प्रबंधन एवं सामान्य निर्देश

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	02
2.	पाठ्यक्रम बदलाव की प्रासंगिकता	02
3.	पाठ्यक्रम राजस्थान के संदर्भ में	03
4.	पाठ्यक्रम के उद्देश्य	04
5.	बी.एस.टी.सी. पाठ्यचर्या की संरचना	05
6.	मूल्यांकन योजना	07
7.	उपलब्ध दिवसों की संख्या एवं कालांश योजना	11
8.	सामान्य निर्देश	13
9.	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम	14
10.	मूल्यांकन विवरण योजना द्वितीय वर्ष	21

भाग – (ख) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	बच्चे और सीखना	24
2.	विद्यालयी संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक	27
3.	आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा	30
4.	हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	34
5.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	37
6.	गणित शिक्षण	43
7.	तृतीय भाषा शिक्षण (संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती)	46
8.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण	80
9.	सामाजिक विज्ञान शिक्षण	82
10.	विज्ञान शिक्षण	85
11.	कार्य शिक्षा	88
12.	आपदा प्रबंधन	94

भाग – (क)

प्रबंधन एवं सामान्य निर्देश

बी.एस.टी.सी.(D.El.Ed.) पाठ्यचर्या

प्रस्तावना

शिक्षक का दायित्व बच्चों को सिर्फ जानकारियों व तथ्यों को प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनमें वैयक्तिक, नैतिक, सामाजिक तथा शाश्वत मूल्यों को स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत स्थापित करना है। बदलते हुए वैश्विक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य में शिक्षकों के शिक्षण के लिए कोई एक स्थापित विधि या तरीका नहीं हो सकता। शिक्षण सतत आत्मचिंतन, रचनात्मकता व सृजनशीलता से परिमार्जित होता है। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य बच्चों की सीखने की असीम क्षमताओं को पहचानना है। शिक्षक द्वारा अपनी संवेदनशीलता, सकारात्मक प्रोत्साहन व प्रेरणा से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के सभी कारकों का आनुभविक अध्ययन भी शिक्षक को करना चाहिए। इस द्विवर्षीय **बी.एस.टी.सी (D.El.Ed.)** पाठ्यचर्या में विद्यार्थी–शिक्षक इस प्रकार के क्रियाकलापों एवं अनुभवों से गुजरेंगे, जिनसे उनके व्यक्तित्व के सभी आयाम भावी शिक्षकीय जीवन में प्रतिबिंबित होंगे।

पाठ्यचर्या बदलाव की प्रासंगिकता

शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में समय–समय पर बदलाव वांछित होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ थीं। उस समय राष्ट्र के तीव्र विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। तत्कालीन समस्याओं से उबरते हुए हमने हमारी शिक्षण प्रक्रिया का उत्तरोत्तर परिष्कार किया। हाल ही के कुछ दशकों में कुछ नवीन मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं व शिक्षण संप्रत्ययों का उद्गम हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षण, आनंददायी शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण जैसी अवधारणाएँ उभरकर सामने आयी हैं। शिक्षण के अनेकानेक तौर–तरीकों में से कक्षा शिक्षण औपचारिक शिक्षण का एक छोटा हिस्सा मात्र है। औपचारिक बंधनों से मुक्त रखकर बच्चों को रोचक वातावरण में शिक्षित किया जाना चाहिए। उनकी क्षमताओं को पहचानकर तदनुसार उनके लिए आगे बढ़ने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्ष 2006 में बने राजस्थान के बी.एस.टी.सी. पाठ्यचर्या में उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखा गया था, परंतु नवीनतम परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें कई और बदलाव स्वाभाविक रूप से वांछित हैं।

देश की शिक्षा में कई प्रकार के प्रासंगिक बदलाव हुए हैं। इस दौरान शिक्षा में एक नई लहर चली, जिसकी शुरूआत 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005' से हुई। इसके अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर नई पाठ्यपुस्तकें बनीं एवं राजस्थान में भी इसका अनुसरण किया गया। वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा' का प्रकाशन हुआ। उसी वर्ष एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

एन.सी.एफ 2005 के अनुसार सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री / गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं।

एन.सी.एफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अहम हैं–

1. ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना।
2. यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटंत प्रणाली से मुक्त हो।
3. पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों के चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराएँ।
4. परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
5. एक ऐसी पहचान का विकास हो जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था सुदृढ़ हो।

इसी क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) 2009 से शिक्षा व्यवस्था व प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन आये जिनमें निम्नलिखित बिंदु परिलक्षित होते हैं–

- संविधान में निहित मूल्यों के अनुसार शिक्षा देना।
- बच्चे का सर्वांगीण विकास करना।
- बच्चे में ज्ञान, अंतर्निहित क्षमता एवं प्रतिभा का विकास करना।
- बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना।
- बाल केंद्रित व बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में क्रियाकलापों, अनुसंधानों, खोजपरक विधियों एवं क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कराना।
- यथासंभव मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराना।
- बच्चे को भय व चिंतामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा उसे अपने भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सहायता देना।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे के ज्ञान, अवबोध तथा उसे उपयोग कर सकने की योग्यता का मापन करना।

एन.सी.एफ. 2005, एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 एवं आर.टी.ई. 2009 दस्तावेजों से शिक्षा और शिक्षक की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आये हैं। इनमें ज्ञान, सीखना एवं बच्चों के बारे में एक नवीन धारणा उभरी है। पहले धारणा थी कि बच्चे खाली घड़े हैं, जिन्हें मनचाहे पदार्थों से भरा जा सकता हैं, या गीली मिट्टी के समान हैं, जिन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता है। पूर्व में यह माना जाता था कि सभी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सामान्यतया एकरूपता है, लेकिन अब यह समझ बन रही है कि वास्तव में बच्चों में विभिन्नताएँ हैं और वे अपनी विशिष्ट सोच, अनुभव, संकल्पनाएँ और योजनाएँ लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे अपनी ही रुचि व समझ के अनुरूप सीखते हैं। वे बने–बनाये या थोपे गए ज्ञान को आत्मसात् नहीं करते हैं, अपितु खुद उसकी रचना करते हैं। इस प्रक्रिया में उनके निजी अनुभवों और रुचियों का बड़ा योगदान है।

इस दौर में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि द्वारा उसका निर्धारण होता है। समाज की ये विभिन्नताएँ ही अपने बच्चों से अलग–अलग अपेक्षाएँ करती हैं और उन्हें उसी के अनुरूप अवसर भी देती हैं। यह वैविध्यपूर्ण बचपन, शिक्षा के प्रति विविध अभिरुचियाँ एवं शैक्षिक सरोकार निर्मित करता है।

ज्ञान अब एक तयशुदा व अपरिवर्तनीय तथ्यों का समूह मात्र नहीं रह गया है, अपितु बदली हुई परिस्थितियों में उसे एक सतत परिवर्तनशील और बहुपक्षीय तथ्यों के रूप में देखा गया है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदाता की न होकर ज्ञान सृजन में सहायक की हो जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों से संवाद में शिक्षक स्वयं नए ज्ञान का सृजन करते हैं तथा निरंतर स्वयं सीखते जाते हैं। ज्ञान और सीखने की ये धारणाएँ वास्तव में कक्षा में समानता, लोकतांत्रिकता और सामूहिकता के सिद्धांतों को स्थापित कर देती हैं तथा इससे सीखने सिखाने वाले का भेद मिट जाता है और कक्षा के हर बच्चे एवं शिक्षक की भूमिका समान रूप से विशिष्ट बन जाती हैं।

एक कक्षा में उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु शिक्षकों को हर प्रकार के भेदभाव और पूर्वाग्रहों को त्याग कर बच्चों के मध्य विभिन्नताओं व विशिष्टताओं को पहचानना व स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक को अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं पर पुनर्विचार कर उन्हें सकारात्मक आकार देना चाहिए। इस प्रकार के विचारशील व्यक्तित्व के शिक्षकों को तैयार करने में मदद करना इस नई पाठ्यचर्या का उद्देश्य है।

राजस्थान का संदर्भ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह स्पष्ट करती है कि बच्चों में ज्ञान सृजन की आवश्यकता को न केवल वैश्विक संदर्भ में, बल्कि उनकी स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए। भौगोलिक विविधताओं व अनेक सामाजिक चुनौतियों के रहते राजस्थान में शिक्षा के विस्तार व उसके सार्वभौमीकरण के लिए सतत प्रयास होते रहे हैं, इसमें शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित वर्ग को जोड़ने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुंबिश एवं डी.पी.ई.पी. परियोजना जैसे कार्यक्रमों को

अपनाया गया। इस पाठ्यचर्या को निर्मित करते समय यह भी उद्देश्य रहा कि इन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के अनुभवों को सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा में समाहित की जाए। साथ ही यह अपेक्षित है कि विद्यार्थी–शिक्षक राज्य की विविधताओं, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ी चुनौतियों को समझें और उसके अनुरूप अपने शैक्षिक दर्शन व शिक्षण विधाओं का विकास करें।

इस पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय शिक्षाविदों, विद्वानों तथा शिक्षक–प्रशिक्षकों के अनुभवों को आधार बनाया गया है, साथ ही विद्यार्थी–शिक्षकों के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। शिक्षाविदों ने अपने अनुभव विश्लेषण की प्रक्रिया में पाया कि बी.एस.टी.सी.(D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन अनिवार्य हैं, जिनसे विद्यार्थी–शिक्षकों का शिक्षण गुणवत्तापूर्ण व वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो सकें। अतः विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप दिया गया है ताकि बदलते संदर्भों में शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकें।

शिक्षक, विद्यालयी शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिस पर पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा है। विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं विद्यालयी शिक्षाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य के सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का नवीनीकरण एन.सी.एफ. 2005, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 की अनुशंसाओं के विभिन्न आयामों को आधार में रखते हुए किया गया है।

उद्देश्य

एन.सी.एफ. 2005 एवं एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का विद्यालय में समावेश करने के लिए इस पाठ्यचर्या के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की परवाह करें तथा उनके साथ आनंद अनुभव करें, बच्चों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भ में समझें, उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करें।
2. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में समझें न कि केवल ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में। विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों मे ज्ञान के सृजन की क्षमता को प्रोत्साहित करें जिससे सीखना रटंत प्रणाली से मुक्त हो सके और सीखना आनंददायी, अर्थपूर्ण और भागीदारी की प्रक्रिया हो सके।
3. विद्यार्थी–शिक्षक पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें एवं स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में देख सकें।
4. विद्यार्थी–शिक्षक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में निहित ज्ञान को केवल दी गई वस्तु न समझें।
5. विद्यार्थी–शिक्षक में बालकेंद्रित, क्रिया आधारित, सहभागितायुक्त अनुभवों यथा खेल प्रायोजना, विचार–विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण जैसी गतिविधियों का आयोजन करने की क्षमता का विकास हो सकें तथा स्वयं की सीखने–सिखाने की प्रक्रिया पर चिंतन कर सकें।
6. विद्यार्थी–शिक्षक कक्षाकक्ष में सामाजिक एवं व्यक्तिगत विविधताओं को पहचान कर सीखने की प्रक्रिया में उनका समावेश कर सकें।
7. विद्यार्थी–शिक्षक शाति, जीवन की प्रजातांत्रिक शैली, समानता, न्याय, स्वतंत्रता की भावना, धर्म निरपेक्षता जैसे मूल्यों को पोषित करें एवं सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु प्रतिबद्ध रहें।
8. विद्यार्थी–शिक्षक विषयवस्तु के ज्ञान, बच्चों के स्तर, समुदाय के परिवेश और पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के आधार पर सीखने–सिखाने की योजना का निर्माण कर सकें।
9. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के सामाजिक एवं शारीरिक विकास और निरंतर बौद्धिक विकास को सुनिशिचित कर, मूल्यांकित करने हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रविधियों को समझ सकेंगे और उपयोग कर सकेंगे।

र्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षकों को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण अवसर दिए गए हैं–

बच्चों का अवलोकन करना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना व उनसे वार्तालाप कर उनके साथ जुड़ना।

स्वयं एवं दूसरों के विश्वासों, मान्यताओं, संवेगों तथा आकांक्षाओं की समझ रखना। तथा आत्मविश्लेषण, स्वमूल्यांकन, अनुकूलता, लचीलापन, सृजनशीलता एवं नवाचारों के लिए क्षमता विकसित करना ।

स्वप्रेरित होकर सीखने की आदतों तथा क्षमताओं को विकसित करना। सोचना, विमर्श करना, आत्मसात करना, और नए विचारों को अभिव्यक्त करना। स्वयं के विचारों के प्रति समालोचनात्मक होना तथा समूह के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करना।

विषयगत ज्ञान तथा सामाजिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करना विषयवस्तु को सीखने वाले के परिवेश से जोड़ना तथा उनमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना।

शिक्षाशास्त्रीय विधाओं ,अवलोकन क्षमता, दस्तावेजीकरण, विश्लेषण, व्याख्या, नाटक, कहानी, हस्तकला, अन्वेषण जैसे कौशलों को विकसित करना।

एस.टी.सी. पाठ्यचर्या की संरचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस पाठ्यचर्या को विकसित या गया है। इसके मुख्यतः तीन भाग हैं।

म भाग में बुनियादी विषय है, इसके अंतर्गत बाल अध्ययन, शिक्षादर्शन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक सरोकार तथा उभरते समसामयिक मुद्दों को रखा गया है।

द्वितीय भाग में शिक्षाशास्त्रीय विषय है, इसके अंतर्गत भाषा (हिंदी, अंग्रेजी एवं तृतीय भाषा), गणित, विज्ञान/सामाजिक ज्ञान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के शिक्षण पर प्रकाश डाला गया है। इनमें विषय की प्रकृति, विषयवस्तु तथा बच्चों के खने की प्रक्रिया आदि पर चर्चा की गई है।

तृतीय भाग में विद्यालय अनुभव को रखा गया है, इसमें यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी–शिक्षक को वास्तविक स्थितियों में संचालित विद्यालयों में प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। विद्यार्थी–शिक्षक इन वास्तविक अनुभवों से सीख कर विद्यालय समस्त क्रियाकलापों में दक्षता प्राप्त कर सके एवं व्यावहारिक शिक्षण में पारंगत हो सके।

इस पाठ्यचर्या में विषयों को पढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। इसमें अपेक्षित है कि विद्यार्थी–शिक्षक उन सभी शिक्षण भवों को प्राप्त करे जो उन्हें हर परिस्थिति में शिक्षण करने में सक्षम बनाए। विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा संस्थान के शिक्षक एक ोषपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के अनुभवों से उन शिक्षण विधाओं का विकास करें जो अत्यंत व्यावहारिक व सहज हो। साथ ही कार्य क्षा तथा आपदा प्रबंधन को विषय की प्रकृति और प्रासंगिकता के अनुरूप सभी विषयों में समाहित करने की अपेक्षा की गई है।

ल्यांकन योजना

विद्यार्थी–शिक्षकों के मूल्यांकन में व्यापकता, निष्पक्षता व निरंतरता लाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूल्यांकन इस प्रक्रिया में विद्यार्थी–शिक्षक व शिक्षक प्रशिक्षक दोनों की सृजनशीलता को बढ़ावा मिलें, इस हेतु मूल्याकंन के बदलते यामों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की भावना के अनुरूप मूल्यांकन की कार्ययोजना बनाई गई यहाँ मूल्यांकन को सृजनशीलता एंव रचनात्मकता के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया हैं

पाठ्यचर्या में मूल्यांकन योजना को मुख्यतः आंतरिक मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन में विभाजित किया गया है।

बाह्य मूल्यांकन के तहत सत्र के अंत में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः तर्क/कारण से संबंधित प्र समझ से संबंधित प्रश्न एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों का समावेश होगा।

आंतरिक मूल्यांकन को मुख्यतः सैद्धांतिक व क्रियात्मक भागों में विभाजित किया गया है। सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन तहत दो परख परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। प्रथम परख पाठ्यक्रम के 50 प्रतिशत और द्वितीय परख शेष 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम आधार पर आयोजित की जाएगी। क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा सत्र पर्यंत किए जा रहे क्रियात्मक कार्य पोर्ट फोलियो के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के पीछे आशय यह है कि विद्यार्थी–शिक्षक दी विषयवस्तु और पठन सामग्री में अपने अनुभवों को मिलाकर चिंतन की ओर अग्रसर हो, समस्याओं पर अपनी समालोचनात्मक दृ विकसित कर सके। यहाँ आंतरिक क्रियात्मक मूल्यांकन के लिए क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप विषयवस्तु की प्रकृति, शिक्षक प्रशिक्षक के सुझाव एवं विद्यार्थी–शिक्षक की रुचि के आधार पर चयन किए जा सकते हैं।

मूल्यांकन योजना द्वितीय वर्ष

क्र. स.	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र का नाम	मूल्यांकन		
			बाह्य मूल्यांकन	आंतरिक मूल्यांकन	योग
1.	प्रथम प्रश्न पत्र	बच्चें और सीखना	70	30	100
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	विद्यालय संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक	70	30	100
3.	तृतीय प्रश्नपत्र	आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा	70	30	100
4.	चतुर्थ प्रश्न पत्र	हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	60	40	100
5.	पंचम प्रश्न पत्र	अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	60	40	100
6.	षष्टम प्रश्न पत्र	गणित शिक्षण	60	40	100
7.	सप्तम प्रश्न पत्र	तृतीय भाषा शिक्षण (संस्कृत/उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी)	60	40	100
8.	अष्टम प्रश्न पत्र	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण	20	30	50
9.	नवम प्रश्न पत्र	सामाजिक विज्ञान शिक्षण/विज्ञान शिक्षण	60	40	100
		योग	**530**	**320**	**850**
		विद्यालय अनुभव	75	175	250
		महायोग	605	495	1100

आंतरिक मूल्यांकन योजना–द्वितीय वर्ष

प्रश्न पत्र क्रमांक	प्रश्न पत्र का नाम	सैद्धांतिक				क्रियात्मक	कुल अंक
		प्रथम सत्रीय परीक्षा		द्वितीय सत्रीय परीक्षा			
		पाठ्यक्रम	अंक भार	पाठ्यक्रम	अंक भार	अंक भार	
1.	बच्चे और सीखना	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
2.	विद्यालय संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
3.	आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
4.	हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	प्रथम 50 %	13	शेष 50 %	12	15	40
5.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	प्रथम 50 %	13	शेष 50 %	12	15	40
6.	गणित शिक्षण	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	20	40
7.	तृतीय भाषा शिक्षण (संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / सिंधी / गुजराती)	प्रथम 50 %	13	शेष 50 %	12	15	40
8.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण	प्रथम 50 %	5	शेष 50 %	5	20	30
9.	सामाजिक विज्ञान शिक्षण / विज्ञान शिक्षण	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	20	40

झावात्मक क्रियात्मक कार्य – प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए

. प्रोजेक्ट कार्य

. केस स्टडी

. क्रियात्मक अनुसंधान / सर्वेक्षण

. मनोवैज्ञानिक परीक्षण

. लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति–निबंध प्रतियोगिता, वाद–विवाद, पत्रवाचन, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, संगीत, कहानी आदि

. भित्ति पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका, चित्र बनाना, स्क्रैप बुक

. शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण – कोलाज निर्माण, मॉडल निर्माण, चार्ट / पोस्टर निर्माण

. विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन

. पेपरमेशी से आकृति निर्माण

0. सेमिनार, कांफ्रेस, पेनल चर्चा, समूह चर्चा, वाद–विवाद, कार्यशाला, आशुभाषण, प्रस्तुतीकरण, मूकाभिनय, एकाभिनय,

1. क्विज प्रतियोगिता

2. पावर पॉइंट प्रजेंटेशन

3. ई–लर्निंग सामग्री

4. पर्यावरण संचेतना कार्यक्रम

5. प्रश्न पत्र निर्माण

6. संग्रहण

7. खेल मैदानों का निर्माण

8. खेलों का आयोजन

9. ब्रेन स्टॉर्मिंग

0. साहित्य संकलन एवं निर्माण

ोट – इसके अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी–शिक्षक और भी गतिविधियाँ विषयानुसार कर सकते हैं।

मूल्यांकन हेतु निर्देश

प्रत्येक विषय हेतु

1. उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय के पूर्णांक का 40 % प्राप्तांक अनिवार्य है।
2. प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं विद्यालय अनुभव के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
3. मूल्यांकन प्रश्न पत्रों में ज्ञान, तर्क/कारण से सम्बन्धित प्रश्न, समझ से संबंधित प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्ञान प्रयोग कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएँगे।
4. प्रश्न पत्र में एक ही भाग होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी।
5. अष्टम प्रश्न पत्र (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) के लिए परीक्षा की निर्धारित अवधि 2 घंटे होगी।
6. बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में अंकभार फाउंडेशन कोर्स में 70:30 प्रतिशत एवं पैडागॉजी कोर्स में 60:40 प्रतिशत होगा ।
7. आंतरिक मूल्यांकन में दो परख एवं क्रियात्मक कार्य का पोर्टफोलियो अनिवार्य है।
8. दोनों परख में निर्धारित पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों का समावेश होना आवश्यक है।
9. क्रियात्मक कार्य में अंक आंतरिक मूल्यांकन योजनानुसार दिए जायेंगे।
10. आंतरिक मूल्यांकन में परख हेतु समयावधि 1 घंटा होगी।
11. प्रश्न पत्र में बहुचयनात्मक, अति लघूत्तरात्मक, लघूत्तरात्मक एवं निबन्धात्मक प्रश्न दिए जाएँगे।
12. न्यूनतम उपस्थिति एन.सी.टी.ई. के नियमों के अनुसार 200 दिवस अनिवार्य हैं।
13. विद्यालय अनुभव में एक यूनिट के लिए फाइनल लेसन एवं मौखिक परीक्षा हेतु दो दिन आवश्यक हैं (एक यूनिट = विद्यार्थी–शिक्षक)
14. फाइनल लैसन हेतु दो पाठ योजना बनवाई जानी आवश्यक है। एक पाठ योजना पर लैसन होगा तथा दूसरी पाठ योजना रिपिटेशन हो सकता है

उपलब्ध दिवसों की संख्या एवं कालांश योजना

ार्य दिवसों का विभाजन इस प्रकार है –

प्रत्येक सत्र में उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या	–	240 दिन
प्रवेश कार्य के लिए कार्य दिवस	–	10 दिन
परीक्षा तैयारी के लिए कार्य दिवस	–	04 दिन
समालोचना पाठ	–	06 दिन
परीक्षा के लिए कार्य दिवस	–	10 दिन
विद्यालय अनुभव तैयारी के लिए कार्य दिवस	–	10 दिन
विद्यालय अनुभव हेतु कार्य दिवसों की संख्या	–	50 दिन
सैद्धांतिक कार्य दिवसों की संख्या	–	150 दिन
प्रति दिवस 8 कालांशों के आधार पर		
सत्र में उपलब्ध कालांशों की संख्या	–	150 X 8 = 1200

मय विभाजन – द्वितीय वर्ष

सैद्धांतिक शिक्षण	–	150 कार्यदिवस	X 8	=	1200 कालांश
विद्यालय अनुभव	–	43 कार्यदिवस	X 8	=	344 कालांश
स्काउट एवं गाइड शिविर	–	07 कार्यदिवस	X 8	=	56 कालांश
विद्यालय अनुभव तैयारी	–	10 कार्यदिवस	X 8	=	80 कालांश
कुल कालांशों का योग				=	**1680 कालांश**

कालांश योजना द्वितीय वर्ष

पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या–210

क्र.स.	सैद्धांतिक	द्वितीय वर्ष	कालांश निर्धारण		
			सैद्धांतिक	क्रियात्मक	योग
1.	प्रथम प्रश्न पत्र	बच्चे और सीखना	140		140
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	विद्यालय संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक	140		140
3.	तृतीय प्रश्नपत्र	आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा	140		140
4.	चतुर्थ प्रश्न पत्र	हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	140		140
5.	पंचम प्रश्न पत्र	अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता	140		140
6.	षष्टम प्रश्न पत्र	गणित शिक्षण	140		140
7.	सप्तम प्रश्न पत्र	तृतीय भाषा शिक्षण (संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / सिंधी / गुजराती)	140		140
8.	अष्टम प्रश्न पत्र	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण	80		80
9.	नवम प्रश्न पत्र	सामाजिक विज्ञान शिक्षण / विज्ञान शिक्षण	140		140
		योग	**1200**		**1200**
		विद्यालय अनुभव तैयारी हेतु कार्य दिवस		80	80
		विद्यालय अनुभव एवं स्काउट गाइड शिविर		400	400
			1200	**480**	**1680**

पाठ्यक्रम के लिए सामान्य निर्देश

यह पाठ्यक्रम द्विवर्षीय होगा। प्रत्येक सत्र में 240 कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। 200 कार्य दिवस की उपस्थिति पर ही विद्यार्थी–शिक्षक परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु पात्र होगा।

द्वितीय वर्ष में 9 प्रश्न पत्र रखे गए हैं द्वितीय वर्ष में नवम् प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय (सामाजिक विज्ञान शिक्षण/विज्ञान शिक्षण) के रूप में होगा।

प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य होगा जिसमें पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्णांक 40 % होगा।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया हैं – सैद्धांतिक पक्ष एवं विद्यालय अनुभव। प्रत्येक सत्र में 10 विदस संस्थान में तैयारी हेतु एवं कुल 50 कार्य दिवस विद्यालय अनुभव के लिए निर्धारित है। इनमें से 7 दिन स्काउट एवं गाइड शिविर के लिए निर्धारित है। 7 दिवसीय शिविर में भाग लेने पर ही विद्यार्थी–शिक्षक का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु दो परख एवं विषय की प्रकृति के अनुसार क्रियात्मक कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक विषय में क्रियात्मक कार्य करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षा में 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम हेतु शिक्षण बिंदुओं की सूची विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका में दी गई है जिसके आधार पर समग्र एवं दैनिक शिक्षण योजना निर्मित की जानी चाहिए।

कार्य शिक्षा विषय की विषयवस्तु एवं कार्यकलाप प्रथम एवं द्वितीय वर्ष दोनों के लिए लागू हैं। सम्मिलित की गई विषयवस्तु को किस विषय के साथ समाहित किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी किया गया हैं।

आपदा प्रबंधन सम्बन्धी मूलभूत जानकारियाँ विद्यार्थी–शिक्षकों में संवेदनशीलता, समझ एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी सहयोग कर सकने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से पठन सामग्री के रूप में दी गई हैं।

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप)

किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाले प्रशिक्षु के लिए इंटर्नशिप एक महत्त्वपूर्ण कार्यकाल होता है। व्यवस्थित व व्यावहा इंटर्नशिप की अवधि के बिना डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि अपने व्यवसाय में अपेक्षित स्तर की दक्षता प्राप्त नहीं कर सक शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में भी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप) की एक महत्त्वपूर्ण अवधि होती है। इसी अवधि विद्यार्थी–शिक्षक एक मननशील व परिपक्व पेशेवर (Professional) के रूप में निखरता है। अतः एक भावी शिक्षक को तैयार कर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा निर्माण (एन.सी.एफ.) 2005 मे शिक्षक की एक मननशील पेशेवर के रूप में संकल्पना की गई है। बदल अवधारणाओं व परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009 में शिक्ष के दायित्व व भूमिका को प्रासंगिक बदलावों के संदर्भ में रखते हुए देखा गया है। नवीन संदर्भ में 'अभ्यास शिक्षण' के स्थान विद्यालय अनुभव शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है। इससे आशय यह है कि विद्यालय में शिक्षण अभ्यास ही एकमात्र प्रयोजन है, बल्कि विद्यालय के प्रशासन तन्त्र, वहाँ की गतिविधियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भी व्यापक रूप से समझना है! विद्यार्थि को बेहतर समझने के लिए उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक व शैक्षिक निर्धार का अध्ययन करना आवश्यक है। नवीन पाठ्यचर्या में संकल्पित विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को विद्यालय मे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे शिक्षण के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों को स्वाभाविक प्रक्रिया के अन्तर्गत सीख सकें।

सैद्धांतिक पक्षों को सीखने के साथ–साथ यदि विद्यार्थी–शिक्षक को कक्षा शिक्षण, प्रार्थना सभा, विद्यालय गतिविधि सामाजिक रीति–रिवाजों व बाल–मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं तो शिक्षक के रूप में उन व्यक्तित्व त्वरित गति से निखरता है। इन प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर विद्यार्थी–शिक्षकों में न केवल आत्मविश्वास का संचार हो है, बल्कि अधिगम के सैद्धांतिक पक्षों की तार्किक व मनोवैज्ञानिक विवेचना करने की क्षमता भी प्राप्त होती है।

विद्यालय अनुभव के इस कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को स्वयं अन्वेषण करने के अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं। क वह अवलोकनकर्ता के रूप में अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है तो कभी एक सहभागी के रूप में विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ जाता शिक्षक का दायित्व केवल विषयवस्तु का सम्प्रेषण करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी की संकल्पनाओं व ज्ञान का स्वाभाविक निम करना हैं। इसके साथ–साथ शिक्षक को कक्षा प्रबन्धन, मूल्यांकन के नवीन सम्प्रत्ययों, गतिविधियों के आयोजन, सूचना एवं संप्रे तकनीकी का शिक्षण में उपयोग करने जैसे विषयों पर भी दक्ष होना आवश्यक है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्ष को अभिभावकों वं सामुदायिक ईकाइयों से सम्पक्र के अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे शिक्षा व उभरते सामाजिक पटल पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण कर सकें। विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम व संकल्पनाओं को समझने के अव प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उनमें अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए सर्वे, केस स्टडी, मननशील रिपो क्रियात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया है।

इन्टर्नशिप को प्रभावी व परिणामवर्धक बनाने हेतु विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

इंटर्नशिप अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक न केवल अपने कक्षा शिक्षण व्यवहार में प्राथमिक अनुभव पाकर पारंगत होगा, बल्कि अपनी सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। सम्पूर्ण अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक को वे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिस उसके व्यक्तित्व के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक व संवैधानिक आयामों को विकसित किया जा सकें।

द्वितीय वर्ष में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की अवधि 10 दिवस संस्थान में तैयारी एवं 50 दिवस विद्यालय में अनुभव के हैं।

द्वितीय वर्ष में 3 दिवस चयनित विद्यालय के अवलोकन हेतु निर्धारित हैं तथा इस हेतु विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / डी. एल.एड. संस्थान में तैयारी के लिए 2 दिवस दिए गए हैं। इस दौरान विद्यार्थी–शिक्षक प्रतिदिन 4 कालांश कक्षा शिक्षण का अवलोकन करेंगे। अवलोकन प्रत्येक विषय, अध्यापक एवं कक्षा का किया जाएगा। शेष 4 कालांशों में विद्यालय अभिलेखों, अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों, बैठकों आदि का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। 7 दिवस स्काउट गाइड शिविर हेतु निर्धारित हैं।

40 दिवस शिक्षण अनुभव के लिए निर्धारित हैं तथा इस हेतु **विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / डी.एल.एड. संस्थान में तैयारी हेतु 5 दिवस दिए गए हैं।** इस कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक चयनित विद्यालय में दो–दो के समूह में शिक्षण कार्य करेंगे। जब पहला विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा होगा तो दूसरा (उसका साथी विद्यार्थी–शिक्षक) उसका अवलोकन करेगा व अगले कालांश में दूसरा विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा एवं पहला साथी उसका अवलोकन करेगा। दोनों विद्यार्थी–शिक्षक एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए शिक्षण अनुभव प्राप्त करेंगे, एक दूसरे की समालोचना करते हुए अपने शिक्षण कौशलों को विकसित करेंगे साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता करेंगे। विद्यार्थी–शिक्षकों के शिक्षण का नियमित अवलोकन विद्यालय के संस्थाप्रधान, शिक्षक, डाइट / डी.एल.एड. संस्थान के शिक्षक–प्रशिक्षक, प्रधानाचार्य करेंगे एवं विद्यार्थी –शिक्षकों को फीडबैक देंगे। प्रत्येक 10 दिन की अवधि के बाद विद्यार्थी–शिक्षक डाइट / डी.एल.एड. संस्थान में जाकर विषय से संबंधित शिक्षक–प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य

विद्यार्थी–शिक्षक को भावी शिक्षक के रूप में तैयार करना।

सैद्धांतिक पक्षों के आधार पर विद्यालय को एक इकाई के रूप में समझना व विद्यालयी संस्कृति की समालोचना करना।

राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, समुदाय और विद्यालय के संगठनात्मक ढाँचों में सम्बन्ध देखना।

कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रूप में समझना।

कक्षा शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, विद्यालय–प्रबंधन व विद्यालय के अन्य पक्षों को समझना व उनकी समालोचना करना।

विद्यालय के शिक्षा तंत्र को समझना व विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार नवाचार की संभावना खोजना।

विद्यार्थियों से जुड़ना, उनको उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझना व उनसे प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाना।

विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन व संचालन के संदर्भ में समुदाय की भूमिका को समझना व उसकी भागीदारी की संभावनाएँ खोजना।

विभिन्न विषयों के शिक्षण की योजना बनाना व कक्षा में उसका क्रियान्वयन करना।

शिक्षण–प्रक्रिया व बच्चों के आकलन के विभिन्न तरीकों को समझकर स्वयं आकलन के नए तरीके खोजना।

शिक्षण अधिगम परिस्थिति में तकनीकी को पहचानना, विकसित करना एवं आवश्यकतानुरूप प्रयोग करना।

विद्यालय सम्बन्धी समस्त कार्य कर पाने की समझ व कौशल विकसित करना, ताकि वह समस्या व चुनौती को पहचानकर उन्हें हल कर पाने के प्रयास कर सकें।

- विद्यालय में अपने अनुभवों व शिक्षण प्रक्रिया पर मनन करना तथा एक शिक्षक के लिए स्वयं मनन करने की महत्ता समझना।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के संदर्भ में बहुस्तरीय शिक्षण का अभ्यास करना।

करणीय कार्य

उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

1. विद्यालय की सम्पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन

इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालय की सामाजिक–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समुदाय का विद्यालय के साथ एवं अन्य जानकारी एकत्रित कर उसकी समालोचनात्मक विवेचना करना।

2. विद्यालय अभिलेखों का अवलोकन तथा संधारण

विद्यालय के विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करना एवं उनकी प्रविष्टियों को दर्ज करने के तरीके सीखना।

3. शिक्षण कार्य का अवलोकन

नियमित शिक्षण कार्य के अवलोकन के आधार पर कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रू समझना। शिक्षक–विद्यार्थियों व विद्यार्थियों के परस्पर संप्रेषण व सम्बन्धों को समझ कर उनका समालोचनात्मक विश करना। सहपाठियों द्वारा पढ़ाते समय शिक्षण कार्य का अवलोकन कर विश्लेषण करना।

4. उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों (एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई.आर.टी.) तथा अन्य सामग्री का समालोचनात्मक विश्लेषण करना

इसमें पाठ्यपुस्तकों एवं उपलब्ध बाल साहित्य, भाषायी खेल, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं विभिन्न शैक्षिक गतिवि आदि का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जायेगा।

5. स्रोत सामग्री का सूचीकरण एवं विकास करना

विद्यालय तथा समुदाय की स्रोत सामग्री को पहचान कर उसे सूचीबद्ध करना एवं उसके कक्षा-कक्ष में प्रयो संभावनाएँ खोजना। सामुदायिक स्रोत सामग्री में जल स्रोत, वनस्पति, स्थानीय ऐतिहासिक स्थान, लोक संस्कृति, इति खेल, व्यवसाय, लोकगीत आदि हो सकते हैं। आवश्यकतानुसार स्रोत सामग्री का प्रयोग एवं उसको पाठ्यक्रम के अ बनाना भी इसमें सम्मिलित है।

6. अधिगम केन्द्रों का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक किसी अधिगम केन्द्र (जहाँ कुछ सीखा जा सकता हो); जैसे– सुसंचालित विद्यालय, संग्र उद्यान, वेधशाला, तारामण्डल, लोककला केन्द्र, विज्ञान केन्द्र, आदि का भ्रमण कर अपने प्रेक्षणों के आधार पर रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट का उपयोग स्रोत सामग्री के विकास में भी होगा।

7. बच्चों को समझना

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत एवं अन्य गतिविधियाँ कर उन्हें जानने व समझने का प्रयास विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने का भी प्रयास करेंगे।

शिक्षण अधिगम योजना तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक विषयवार समग्र शिक्षण योजना बनाने के बाद दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे। समग्र शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रति विषय पढाए जाने वाले सभी पाठों की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी है। इसका प्रारूप–1 में दिया गया है। समग्र शिक्षण योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे जिसका प्रारूप–2 में दिया गया है। योजना तैयार करते समय बहुस्तरीय शिक्षण को आवश्यकतानुसार स्थान दें, ताकि सभी विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित हो सकें। शिक्षण योजना निर्माण में विषयवस्तु का विश्लेषण, ज्ञान सृजन के लिए शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर क्रियाकलापों/गतिविधियों का चयन करें।

विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया

योजना बनाने के बाद विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर 40 दिवसीय शिक्षण कार्य करेंगे।

0. समुदाय के साथ संवाद

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों एवं समुदाय के साथ मिलकर विद्यालय व बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे।

1. विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय की प्रार्थना-सभा, खेलकूद, स्काउटिंग, विज्ञान–क्लब, स्टाफ–क्लब, ईको–क्लब, समाजोपयोगी उत्पादकं कार्य, विज्ञान मेला, पुस्तकालय की देखभाल, उत्सव, पर्व एवं जयन्तियाँ, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि गतिविधियों में भाग लेंगे।

2. बच्चों का मूल्यांकन

विद्याथी–शिक्षक कक्षा में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे व उसका रिकॉर्ड संधारित करना सीखेंगे।

3. समावेशी शिक्षा के लिए कार्यनीति अपनाना

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यार्थियों की विविधता तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को पहचान कर तद्नुसार कार्यनीति अपनाएँगे।

4. केस स्टडी

किसी एक बच्चे का चयन कर उसके बारे में स्वयं, उसके साथियों, शिक्षकों, माता–पिता, पड़ोसियों, मित्रों आदि से बातचीत के आधार पर अध्ययन करेंगे।

5. मननशील रिपोर्ट (Reflective Journal)

विद्यार्थी–शिक्षक अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के आधार पर अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार का अनुभव लेखन उन्हें अपनी अवधारणाओं व अनुभवों पर मनन करने का अवसर देता है। वे अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं व वर्तमान में उभरी धारणाओं के द्वंद्व से उभरकर किसी समस्या का सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अनुभव में विद्यालय के शैक्षणिक व सहशैक्षणिक पहलुओं, संसाधनों, परिवेशगत प्रभावों, सामुदायिक पक्ष आदि को आधार बनाया जा सकता है तथा अन्य कई पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है जो एक विद्यालय विशेष में एक विशिष्ट पहलू है। इस प्रकार के लेखन में निष्पक्षता, मौलिकता व तार्किकता का निर्वहन होना चाहिए। विद्यार्थी–शिक्षक इन्हें विवरणात्मक रूप में लिखने के स्थान पर परिस्थितियों का विश्लेषण स्वयं के मनन के आधार पर करेंगे।

16. क्रियात्मक–अनुसंधान

क्रियात्मक–अनुसंधान में किसी शैक्षणिक समस्या के विभिन्न पक्षों को किसी परिकल्पना के माध्यम से जाँचा जाता विद्यालय या कक्षा कक्ष से जुड़ी किसी एक समस्या का चयन कर विद्यार्थी–शिक्षक उससे सम्बन्धित साहित्य का अध्य करेंगे। सामूहिक चर्चा करके शोध उद्देश्य व परिकल्पना का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात् उपयुक्त शोध विधि व उपकरणों निर्धारण करके आँकड़ों या दत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालेंगे तथा उसके शैक्षिक निहितार्थ प्रस्तुत करेंगे।

17. सर्वे

सर्वे करना अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षा से किसी घटक या शैक्षिक समस्या का सर्वे कर उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं तथा अपने उपयोगी व महत्त्व सुझावों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के सर्वे में उपयुक्त उपकरण का चुनाव, निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता से सर्वे अधिकाधिक वैध व सार्थक बनाया जा सकता हैं। यह सर्वे विद्यालय के आस–पड़ोस के परिवारों, संचालित संस्थाओं (य चौपाल, अस्पताल, कॉलेज, विद्यालय, पंचायत, प्रशासनिक शिक्षा संस्थान) के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों व आयामों को समझ मदद करेगा तथा सर्वे कर्ता उन तथ्यों का शैक्षिक निहितार्थ भी जान सकेगा।

18. प्रोफाइल

विद्यालय अनुभव के संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यार्थी से संबंधित प्रत्येक जानकारी का अभिलेख एक फाइल संधारित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है –

- विद्यार्थियों की संख्या (लड़के व लड़कियों की संख्या अलग–अलग)
- विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गए सभी कार्यों का अभिलेख
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को देखते हुए समूहों की संख्या एवं उनमें विद्यार्थियों की संख्या।
- अपने शिक्षण विषय में विद्यार्थियों की आधारभूत अवधारणाओं की समझ।
- उन विद्यार्थियों की पहचान जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

19. प्रोजेक्ट

शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी–शिक्षक का किसी एक विषयवस्तु के संदर्भ में व्यापक व ज्ञान परक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्राथमिक व द्वितीयक दत्त (Data), त तथा विषयवस्तु एकत्रीकरण की प्रक्रिया जितनी व्यापक, व्यवस्थित व प्रासंगिक होगी, प्रोजेक्ट उतना ही रोचक, ज्ञानवर्धक अनुभवजन्य रहेगा। प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम की महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुओं, सहशैक्षणिक गतिविधियों या शैक्षणिक समस्याओं सम्बद्ध हो सकता है। प्रोजेक्ट को तथ्यपरक, अनुसंधानात्मक व रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

20. पाठ्यपुस्तक विश्लेषण

द्वितीय वर्ष में कक्षा 6 से 8 के किसी भी विषय की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार किया जाएगा।

- पाठ्यक्रम के अनुसार
- विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार

- भाषा की सरलता एवं स्पष्टता
- विषयवस्तु में रोचकता
- विषयवस्तु में प्रासंगिकता
- विविधता का समावेश
- स्थानीय परिवेश एवं अनुभवों को स्थान
- चित्र का समावेश एवं स्पष्टता
- गतिविधियों का समावेश
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
- पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों की उपयुक्तता

विषयवस्तु विश्लेषण

विषयवस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी भी विषयवस्तु का संपूर्ण अध्ययन कर उसके सभी घटकों, तथ्यों व विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी–शिक्षक छात्र/छात्राओं का स्तर, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी ज्ञानार्जन की गति, स्वयं की शिक्षण क्षमताओं व उपलब्ध शिक्षण संसाधनों को भी दृष्टिगत रखें।

विषयवस्तु विश्लेषण के पश्चात एक शिक्षक के लिए यह सरल हो जाता है कि उसे किन मुख्य बिन्दुओं को अपने पाठ प्रस्तुतीकरण के आधार में रखना है। विषयवस्तु विश्लेषण से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि विश्लेषित विषयवस्तु को किस प्रकार, किस क्रम से तथा किस व्यवस्था से पढ़ाना है।

किसी विषयवस्तु विश्लेषण के सबसे छोटे घटक में शब्द भी हो सकते हैं, विषयवस्तु की थीम, वर्णित पात्र, अवधारणा, गद्यांश, भाषागत संरचना, रोचकता आदि सभी बिंदु हो सकते हैं।

विषयवस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य विषयवस्तु को सरल एवं ग्राह्य बनाना है तथा विषयवस्तु से जुड़े तथ्यों में संपूर्णता एवं क्रमबद्धता लाना है।

द्वितीय वर्ष

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का विवरण	संभावित माह / कार्य दिवस
1.	अभ्यास हेतु डाइट / डी.एल.एड. संस्थान द्वारा विद्यालयों का चयन	जुलाई
2.	चयनित समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधानों एवं एक–एक शिक्षक के साथ चर्चा (दो दिवसीय उन्मुखीकरण)	अगस्त
3.	10 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / डी.एल.एड. संस्थान में तैयारी	सितम्बर (2 दिन)
4.	चयनित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा विद्यालय अवलोकन।	सितम्बर (3 दिन)
5.	40 दिवसीय शिक्षण अनुभव के लिए विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / डी.एल.एड. संस्थान में तैयारी	दिसम्बर (5 दिन)
6.	चयनित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा शिक्षण अनुभव	जनवरी, फरवरी (40 दिन)
7.	डाइट / डी.एल.एड. संस्थान मे व्याख्याताओं से सम्पर्क एवं परामर्श	जनवरी, फरवरी (3 दिन)
8.	विद्यार्थी–शिक्षक का मूल्यांकन	सतत
9.	स्काउट एवं गाइड शिविर	फरवरी (7 दिन)

मूल्यांकन विवरण योजना – द्वितीय वर्ष

क्र. सं.	गतिविधियों का विवरण	आंतरिक मूल्यांकन			बाह्य मूल्यांकन		योग
		विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा	डाइट / डी. एल.एड संस्थान द्वारा	डाइट / डी. एल.एड संस्थान द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक पाठ	
1.	3 दिवसीय विद्यालय अवलोकन	10	10	-	-	-	20
2.	A) 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम	40	50	-	-	-	90
	B) क्रियात्मक अनुसंधान / प्रोजेक्ट (कोई एक)	-	-	-	15	-	15
3.	रिकोर्ड आधारित मूल्यांकन – पाठ योजना डायरी, कक्षा 6 से 8 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान / प्रोजेक्ट (प्रति रिकार्ड 4 अंक)	-	10	10	-	-	20
4.	6 समालोचना पाठ (हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान / विज्ञान, प्रति विषय 8 अंक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 5 अंक)	-	45	-	-	-	45
5.	क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (फाइनल लेसन)	-	-	-	10	50	60
6.	**योग**	**50**	**115**	**10**	**25**	**50**	**250**
	प्रातिशत भार	**70%**			**30%**		**100%**

आंतरिक मूल्यांकन – 175 अंक

) विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षकों द्वारा – 50 अंक

(1) 3 दिवसीय विद्यालय अवलोकन हेतु – 10 अंक (विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका के मूल्यांकन प्रपत्र–1 ब के अनुसार)

(2) 40 दिवसीय शिक्षण कार्य का मूल्यांकन – 40 अंक (विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका के मूल्यांकन प्रपत्र–2 के अनुसार)

) डाइट / डी.एल.एड. संस्थान द्वारा मूल्यांकन – 125 अंक (मूल्यांकन प्रपत्र 3 (ब) के अनुसार करेंगे)

(1) 3 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्य के आधार पर – 10 अंक (विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका के प्रपत्र संख्या 1, 3, 4, 5, 6 एवं 7 के आधार पर, एवं मूल्यांकन प्रपत्र 3 ब के बिन्दु संख्या एक के आधार पर)

(2) 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम–50 अंक (अनुभव कार्यक्रम के दौरान किए गए कार्य के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र 3 ब के बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 के आधार पर)

(3) रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन – 20 अंक, पाठ योजना डायरी, कक्षा 6 से 8 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेष अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान **(प्रति रिकार्ड 4 अंक ,2 अंक मौखिक एवं 2 अ रिकार्ड के आधार पर)**

(4) समालोचना पाठ (6 विषय) – 45 अंक

(हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान हेतु प्रति विषय 8 अंक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण हेतु 5 अंक)

बाह्य मूल्यांकन – 75 अंक

(i) क्रियात्मक बाह्य परीक्षा – (1 विषय) – 50 अंक

(ii) मौखिक परीक्षा – 25 अंक – कक्षा शिक्षण हेतु 10 अंक एवं क्रियात्मक–अनुसंधान/प्रोजेक्ट (कोई एक) हेतु 15 अंक

मूल्यांकन हेतु निर्देश

- विद्यार्थी–शिक्षक को विद्यालय अनुभव की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है।
- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में पृथक्–पृथक् न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा।
- 40 दिवसीय विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम के पश्चात् 6 दिवस समालोचना पाठ हेतु निर्धारित हैं।
- आंतरिक अंकों के मूल्यांकन का विवरण मूल्यांकन प्रपत्र संख्या 1 (ब), 2 व 3 (ब) के अनुसार होगा।
- बाह्य मूल्यांकन के लिए दो बाह्य परीक्षक एवं डाइट/डी.एल.एड. प्रधानाचार्य सहित तीन सदस्यों का बोर्ड होगा।
- क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (वार्षिक पाठ) में क्रियात्मक पाठ और मौखिक परीक्षा हेतु 50 विद्यार्थी–शिक्षकों के लिए दिवस निर्धारित हैं।
- आवंटित विद्यालय में विद्यार्थी–शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान के प्र विषय 10 कालांश एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 5 कालांश का शिक्षण करेंगे। यथासंभव विद्यार्थी–शिक्षक सभी कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) में शिक्षण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले।
- विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा ICT का उपयोग यथास्थान/यथासंभव प्रत्येक विषय में किया जाना अपेक्षित है।
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा खेल सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं अभिलेख संधारण विद्यार्थी–शिक्षक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- 7 दिवसीय स्काउट एवं गाइड शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। इसका अंकन नहीं किया जाएगा, परन्तु शिविर में भा लेने पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

अवलोकन प्रपत्र

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक, अभ्यास परक और अनुभव आधारित बनाने के प्रयास के तहत त्येक स्तर पर हुए अनुभवों एवं क्रिया–कलापों की समुचित जानकारी का व्यवस्थित मूल्याकंन करने की दृष्टि से विभिन्न अवलोकन पत्र विकसित किए गए हैं, जो विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा, शिक्षक–प्रशिक्षकों द्वारा और संस्था–प्रधान/विद्यालय शिक्षकों द्वारा भरे ाएँगे।

इनकी पूर्ति करने से विद्यार्थी–शिक्षकों के अवलोकन स्तर का विस्तार होगा। उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, और वे अनेक ोटी–छोटी समस्याओं को भी देखना सीख सकेंगे। साथ ही यह शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी तीनों के उन्नयन में सहायक गा। यहाँ आवश्यक प्रपत्रों के नाम दिए गए हैं। इनका विस्तृत विवरण विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका में दिया गया हैं द्यार्थी–शिक्षक इनमें सम्बन्धित जानकारियों/सूचनाओं को लिखने के लिए अलग से प्रपत्र बनाएँ जिनमें आवश्यक ानकारियों/सूचनाओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। द्वितीय वर्ष हेतु प्रपत्र संख्या 1 तथा 3 से 7 भरे जाने हैं।

प्रपत्र–1 विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट

प्रपत्र–3 (तीन दिवसीय) विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट

प्रपत्र–4 (तीन दिवसीय) विद्यार्थियों के समूह से बातचीत

प्रपत्र–5 (तीन दिवसीय) संस्थाप्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन

प्रपत्र–6 (तीन दिवसीय) गाँव/शहर की सामान्य जानकारी

प्रपत्र–7 (तीन दिवसीय) विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध

प्रपत्र–9 (चालीस दिवसीय) खेल संबंधी जानकारी

प्रपत्र–10 (चालीस दिवसीय) कक्षा अवलोकन प्रपत्र (सहयोगी के रूप में)

प्रपत्र–11 (चालीस दिवसीय) संस्थाप्रधान/शिक्षक के साथ 3 दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट

. प्रारूप–1 समग्र शिक्षण योजना

. प्रारूप–2 दैनिक शिक्षण योजना

. मूल्यांकन प्रपत्र–1 अ, ब

. मूल्यांकन प्रपत्र– 2

. मूल्यांकन प्रपत्र–3 अ,ब

ोट – विस्तृत जानकारी हेतु पाठ्यक्रम के साथ विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका पृथक से निर्मित की गई है

बाल अध्ययन

बच्चे और सीखना

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन–70

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

इस विषय में बच्चों के सीखने से संबंधित बातों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। सीखना क्या होता है– क्या वह महज़ किसी और द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को अपनी स्मृति में बसाना ही है? क्या हम जानकार लोगों का अनुकरण व अनुसरण करने से सीखते हैं? क्या ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कई अलग–अलग टुकड़ों में बँटी हुई है और हम एक–एक टुकड़े पर महारत हासिल करते हुए सीखते जाते हैं?सीखने में बच्चों की क्या भूमिका होती है?क्या वह सिर्फ ज्ञान को दोहराकर सीखता है या खुद के प्रयासों व प्रेरणा से समग्रता से नए ज्ञान का सृजन और निर्माण करता है?क्या यही सीखना है? क्या बच्चों के सोचने के तरीके और बड़ों के सोचने के तरीकों में फर्क है?क्या अलग–अलग उम्र के बच्चे अलग–अलग तरीकों से सोचते हैं? अगर ऐसा है तो हम शिक्षण में इस बात का ख्याल कैसे रखें?बच्चों के सीखने–समझने में समाज के अन्य लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उनसे संप्रेषण और खुद से बातचीत की क्या अहमियत है?सभी शिक्षक इन सवालों से जूझते हैं और इन्हें समझना जरुरी है। यह भी समझना होगा कि क्या कोई बच्चे वास्तव में बुद्धिमान या मंदबुद्धि होते हैं? क्या बच्चों के सीखने की गति व क्षमता उनके जन्म से निर्धारित होती है या फिर समाज द्वारा?

बच्चे दिन भर खेल में लगे रहना चाहते हैं। यह खेल क्या केवल मनोरंजन या शारीरिक व्यायाम है या कुछ और?उनके सोचने, समझने और सीखने को समझना होगा और विद्यार्थी शिक्षक को शिक्षण के लिए यह समझना आवश्यक है कि कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, उन सब के लिए कक्षा का वातावरण सहज और प्रेरणास्पद कैसे बनाएं?बच्चों की विविध क्षमताओं व अनुभवों को कक्षा में कैसे देखें और उनका उपयोग एक सार्थक संसाधन के रुप में कैसे करें?

बच्चों के सीखने के विषय में अभी भी बहुत–सी धारणाएँ हैं। इन धारणाओं से प्रेरित होकर शिक्षण विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। विद्यार्थी–शिक्षकों को इन धारणाओं को चुनौती देने व पुनर्निर्माण करने का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि वे अलग–अलग सिद्धांतों, उनकी आलोचना और उनमें शैक्षिक निहितार्थ से परिचित हों। इस पाठ्यक्रम से यह भी अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षकों को सिद्धांत एवं उनकी समालोचना को समझने के लिए फील्ड आधारित कार्य दिए जाएँ। विद्यार्थी शिक्षकों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि कोई भी सिद्धांत बच्चों के सीखने के बारे में एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। अतः एक विद्यार्थी शिक्षक के लिए यह जरुरी है कि वह अपने अनुभवों एवं समझ के आधार पर इन सिद्धांतों के निष्कर्ष से स्वयं का सिद्धांत बनाए।

उद्देश्य

- बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
- बच्चों के सीखने के बारे में विभिन्न सिद्धांत/मॉडल से परिचय पाना और उनके शैक्षिक निहितार्थ समझना। इन सिद्धांतों की अपने अनुभवों के आधार पर विवेचना करना।

- अलग–अलग सिद्धांतों की समालोचना करते हुए बच्चों के सीखने व समझने के बारे में एक समग्र समझ बनाना।
- बच्चों के सोचने के विशिष्ट तरीकों को समझना तथा उसमें भाषा की भूमिका को समझना
- बच्चों के सीखने में खेलों के महत्त्व को समझना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा में भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध कराना।

इकाईवार विवरण

इकाई–1 सीखना

अंक–10

1.1 सीखना (Learning) की अवधारणा से परिचय

1.1.1 सीखने के बारे में स्वयं के विचार एवं सामाजिक धारणाएँ

1.2 ज्ञान का निर्माण व उसके तरीके (ज्ञान मीमांसा : Epistemology)

1.3 स्कूल में आने वाले बच्चे क्या–क्या जानते हैं?

1.4 सीखने को प्रभावित करने वाले कारक

इकाई–2 सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा

अंक–10

2.1 बुद्धि (Intelligence) की अवधारणा : सिद्धांतों की समझ एवं सीखने में भूमिका

2.1.1 बुद्धि के वर्गीकरण का औचित्य एवं समालोचनात्मक विमर्श

2.2 अभिप्रेरणा (Motivation) की अवधारणा

2.2.1 बाहरी और आंतरिक अभिप्रेरणा

2.2.2 अभिप्रेरणा और सीखने में संबंध

2.3 अभिभावकों एवं शिक्षकों से अपेक्षाएं

इकाई–3 व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद

अंक–10

3.1 व्यवहारवाद (Behaviourism) की अवधारणा

3.1.1 व्यवहारवादी सिद्धांत : अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत (पॉवलव), सक्रिय अनुबंध सिद्धांत (स्किनर)।

3.2 संज्ञानवाद (Cognitivism) की अवधारणा (जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में)

3.2.1 स्कीमा (Schema), सम्मिलन (Assimilation), समायोजन (Accommodation), व्यवस्थापन (Organization), संतुलनीकरण (Equilibration), मानसिक संक्रियाएँ (Mental operations)

3.2.2 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ : शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ–सेंसरी मोटर, प्री–ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल।

3.3 व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद के शैक्षिक निहितार्थ एवं समालोचना।

इकाई–4 सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत

अंक–07

4.1 मस्तिष्क में सूचनाओं के आधार पर ज्ञान निर्माण

4.2 सूचना प्रसंस्करण मॉडल (Information Processing Model)

4.3 सीखने–सिखाने में स्मृति (Memory) की भूमिका : हम कैसे याद रखते हैं या भूल जाते हैं

4.4 सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ एवं समालोचना।

इकाई–5 सीखने में समाज की भूमिका

अंक–1

5.1 सीखना और समाज में अंतर्संबंध

5.2 सामाजिक संज्ञान के सिद्धांत (Social Cognition theory) (बैन्डूरा) : मॉडलिंग की अवधारणा

5.3 सामाजिक–सांस्कृतिक सिद्धांत (Socio-Cultural theory) (व्यगोत्स्की) :

5.3.1 विकास के निकट का दायरा (ZPD), सांस्कृतिक उपकरण (Cultural Tools)

5.4 सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थ एवं समालोचना

इकाई–6 भाषा एवं सोच

अंक–1

6.1 बच्चे सम्प्रेषण कैसे करते हैं?

6.2 भाषा विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य– स्किनर, व्यगोत्स्की, चोम्स्की आदि

6.3 भाषा और सोच के बीच संबंध

6.4 कक्षा में बहुभाषिकता (Multilingualism) का महत्त्व

6.5 भाषा विकास में परिपक्वता का महत्व

6.6 अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका

इकाई–7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

अंक–07

7.1 विशेष आवश्यकताओं से अभिप्राय

7.2 क्षति, अपंगता एवं अक्षमता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

7.3 समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की अवधारणा

7.4 अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका

इकाई–8 खेल

अंक–06

8.1 खेल से अभिप्राय, विशेषताएँ एवं प्रकार

8.2 अलग–अलग उम्र एवं विभिन्न संदर्भों में बच्चों के खेल

8.3 खेल : बच्चों के सीखने–सिखाने के माध्यम के रूप में

8.4 खेलों का महत्व : शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं भाषायी विकास के संदर्भ में

8.5 अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका

विद्यालय संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक

कुल अंक –100

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन–70

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

'शिक्षक' व विद्यार्थी दोनों के लिए प्रस्तुत यह प्रश्न पत्र सुपरिचित है। विद्यार्थी–शिक्षक भी अपने विद्यालयी जीवन से ही इस इकाई से परिचित होते हैं, परन्तु एक शिक्षक के रूप में उन्हें इन इकाइयों को समग्र शिक्षा के ढाँचे में समझने की आवश्यकता है।

इस इकाई के अंतर्गत दी गई विषयवस्तु के माध्यम से विद्यालय की मशीनरी, विद्यालय संगठन, शिक्षक की पहचान तथा सीखने–सिखाने के वातावरण के अंतर्संबंधों को समझने के प्रयास किए जाएँगे। इन वृहद् प्रक्रियाओं के अलावा यहाँ उन लघु प्रक्रियाओं को भी रेखांकित किया गया है, जो विद्यालय परिवेश तथा विद्यालय संस्कृति को परिभाषित करते हैं। साथ में यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी शिक्षक स्वयं के बारे में, स्वयं के काम के बारे में एवं विद्यालय के बारे में, अपनी एक समझ बनाएँ जिसके आधार पर वे निर्णय ले सकें। ये निर्णय कक्षा कक्ष, बच्चों, साथियों के साथ व्यवहार, पुस्तकों की उपयुक्तता आदि के संदर्भ में हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें विशेषज्ञों अथवा समाज के कर्णधारों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यार्थी–शिक्षकों को स्वयं की एक पेशेवर के रूप में जिम्मेदारी पर समझ विकसित करनी होगी।

उद्देश्य

- विद्यालय संदर्भ में शिक्षातंत्र कैसे काम करता है, उसके निर्णय लेने वाला तंत्र कैसा है– इन्हें समझना व समीक्षा करना।
- विद्यालय प्रबंधन, शैक्षणिक एवं शिक्षकों के व्यावसायिक जीवन संबंधी निर्णय लेने के बारे में समझ बनाना।
- एक संस्था के रूप में विद्यालय की समझ बनाना।
- राष्ट्र एवं राज्य की शैक्षिक व्यवस्था की प्रशासनिक संरचना एवं विधि–विधान के साथ विद्यालयी संस्कृति और प्रबंधन के अंतर्संबंधों को समझना।
- स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग/परिवर्तन करने की क्षमता विकसित करना।
- क्रियात्मक अनुसंधान कर सकने की क्षमता विकसित करना एवं इसे आवश्यकतानुसार कर पाना।
- स्वयं की एक व्यक्ति व पेशेवर के रूप में छवि बना पाना ।
- छात्र कल्याणकारी योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करना।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. विद्यालय की संकल्पना

अंक–10

1.1 विद्यालय की आवश्यकता एवं उद्देश्य – विद्यालय की आवश्यकता, महत्त्व, उद्देश्य।

1.2 विद्यालय की संकल्पना – मानवीय, भौतिक, वित्तीय, प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में।

1.3 विद्यालय के आधार – अधोसंरचना (Infrastructure कक्ष, मैदान, उपकरण आदि), दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामा प्रशासनिक और प्रवेश प्रक्रिया।

1.4 प्रभावी विद्यालयों की विशेषताएँ – सामाजिकता, स्तरीयता, परिणामात्मकता, विश्वसनीयता, विकासात्मकता।

1.5 विद्यालय प्रबन्धन – अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमिका।

1.6 कल्याणकारी योजनाएँ – विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु ।

1.7 विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में – सभी वर्ग, धर्म, जाति, जेण्डर, समावेशी शिक्षा आदि के संदर्भ में।

इकाई-2. शिक्षा संचालन व्यवस्था अंक-

2.1 संवैधानिक प्रावधान – समवर्ती सूची, आर.टी.ई 2009, एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 की जानकारी विद्यालय के अर्थ, संरचन संचालन के संदर्भ में।

2.2 शिक्षा का क्षेत्राधिकार – केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय/ट्रस्ट।

2.3 शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक सं (न्यूपा, एन.सी.ई.आर.टी.), केंद्र प्रदत्त आर्थिक सहायता।

2.4 राज्य विधानसभा एवं मंत्रालय की भूमिका – शिक्षा के उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गए प्रस्ताव व संशोध प्रक्रिया।

2.5 राज्य की शिक्षा व्यवस्था – SIERT, DIET का स्वरूप, कार्यप्रणाली, सचिवालय, निदेशालय, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रणाली।

2.6 विद्यालय शिक्षा विभाग का ढाँचा – आयुक्त/निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।

2.7 विद्यालय में शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाएँ – राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्य शिक्षा परिषद की भूमिका एवं विद्यालय के साथ सम्बन्ध।

इकाई-3 विद्यालय के प्रकार अंक-10

3.1 विद्यालय की संरचना – प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर, प्रकार एवं प्रक्रिया।

3.2 केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय – केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय।

3.3 राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय – प्राथमिक, उच्चप्राथमिक/माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, आवासीय विद्य मदरसा, संस्कृत विद्यालय।

3.4 निजी विद्यालय –

3.5 विशिष्ट विद्यालय – गुरुकुल कांगड़ी, पब्लिक स्कूल।

3.6 कॉमन स्कूल सिस्टम – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कॉमन स्कूल सिस्टम आयाम, कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएँ CSSC (क स्कूल सिस्टम कमीशन) तथा RTE Act 2009 का तुलनात्मक अध्ययन।

इकाई-4 विद्यालय संस्कृति और परिवेश अंक-

4.1 विद्यालयों में बच्चों को औसत और श्रेष्ठ श्रेणियों में – वर्गीकरण।

4.2 विद्यालयी प्रवृतियाँ और अनुशासन – राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्व जयंतियाँ, उत्सव तथा उनमें निहित संदेश वार्षिकोत्सव, शनिवारीय गतिविधियाँ, प्रार्थना सभा द्वारा भ्रातृत्व भाव, राष्ट्र प्रेम, आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता के संदेश की समझ का विकास, नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा द्वारा मूल्यों एवं अनुशासन का विकास, विद्यालयी समय सारणी राज्य सरकार के निर्देश एवं उनमें निहित धारणा की जानकारी, शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी संबंध।

4.3 विद्यालय परिवेश और मूलभूत संकेतक– विद्यालयों के ध्वज, गणवेश, लोगो (प्रतीक), संदेश वाक्य।

इकाई-5 शिक्षा का नीतिशास्त्र

अंक-10

5.1 नीतिशास्त्र का आशय एवं स्वरूप – नीतिशास्त्र आशय एवं स्वरूप।

5.2 मूल्य का अर्थ – मूल्य का अर्थ एवं प्रकार ।

5.3 शिक्षा एवं नैतिक मूल्य – प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय, शिक्षा और नैतिकता में संबंध, आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा, शैक्षिक नीतिशास्त्रीय समाधान, उत्तरदायित्व, सहभागिता एवं नैतिक साहस।

इकाई-6 शिक्षक का व्यक्तित्व

अंक-10

6.1 शिक्षक के व्यक्तित्व के आयाम एवं प्रेरक तत्त्व।

6.2 शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव।

6.3 शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष एवं विशेषताएँ – ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष।

6.4 पूर्वाग्रहमुक्त व्यक्तित्व।

इकाई-7 शिक्षक एवं अनुसंधान

अंक-12

7.1 अनुसंधान का आशय, प्रकार, प्रक्रिया एवं महत्त्व

7.2 विज्ञानपरक दृष्टिकोण का विकास – अधुनातन ज्ञान की जानकारी, नवाचार की समझ एवं सकारात्मक सोच।

7.3 क्रियात्मक अनुसंधान का आशय, विशेषताएँ, प्रक्रिया एवं उदाहरण, समस्याओं की सुझावात्मक सूची।

7.4 क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त आवश्यक सांख्यिकीय ज्ञान।

समसामयिक अध्ययन

आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा

कुल अंक–
बाह्य मूल्यांकन
आंतरिक मूल्यांकन
कालांश–

परिप्रेक्ष्य

आधुनिक विश्व में तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ है जिन्होंने सार्वजनिक शिक्षा के स्वरुप को निर्धारित किया है – औद्योगिकीक राष्ट्र–राज्यों की स्थापना तथा लोकतंत्र का विस्तार। इनके प्रभाव से जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई वह काफी हद तक लोकतां और मानवीय मूल्यों व क्षमताओं के विकास में सहायक रही है, लेकिन फिर भी कई मायनों में वह सामाजिक असमानताओं को स करने में सफल नहीं रही हैं। ऐसे में कई शिक्षाविद् और चिंतकों ने आधुनिक विद्यालय व्यवस्था की समालोचना करते हुए वैकल्प व्यवस्थाओं की कल्पना भी की है। ये विचार और संकल्पनाएँ कुछ हद तक शिक्षा की मुख्यधारा में परिवर्तन लाने में भी सफल रही पिछले दो दशकों से वैश्वीकरण का एक नया दौर चला है जिसके तहत कई बुनियादी परिवर्तन जीवन के हर पहलू को प्रभावित रहे है। इनका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह उभर रहा है कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा एक विद्यार्थी शिक्षक को इनके बारे में समझना ओर विचार विमर्श करना जरूरी और उपयोगी होगा।

इन वैश्विक परिदृश्यों के साथ साथ स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने अपने समाज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ह शिक्षातंत्र के लिए कुछ उद्देश्य स्थापित किए तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का स्थान निर्धारित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत इतिहास का भी प्रभाव हमें बदलती शिक्षा नीतियों में दिखता है। शुरू के दौर में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता निर्माण प्राथमिकता दी गई और कुछ दशकों के बाद बढ़ती विषमताएँ तथा महिलाओं व कई समुदायों का मुख्य धारा से अलग रहना चिंता विषय बना। ऐसे सभी तबकों को विकास में भागीदार बनाने के लिए आज शिक्षा को एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इ सोच के तहत शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियाँ व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा को एक बुनियादी संवैधानि अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। इनमें से कुछ चुनौतियाँ दूरस्थ, बिखरे या घुमंतु समुदायों से जुडी कुछ चुनौतियाँ महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक भूमिका से संबंधित हैं और कुछ तो गहरे जातिगत या आर्थिक विषमताओं जुड़ी हैं। इनके संदर्भ में शासन और समाज दोनों स्तर पर कई पहल की गयी है जिनके मिले–जुले परिणाम रहे हैं। हमारे विद्या शिक्षकों को इन चुनौतियों के संदर्भ में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा।

उद्देश्य –

- आधुनिक विश्व की तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ–औद्योगिकीकरण, राष्ट्र–राज्यों की स्थापना तथा लोकतंत्र, शिक्षा को ये कै प्रभावित करते हैं, इसे समझना।
- आधुनिक विद्यालयों ने जो वास्तविक रूप लिया, वह किस हद तक विभिन्न असमानता को दूर कर पाया एवं बच्चों सृजनात्मकता, मानवीय व लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना बढ़ावा दे पाया, इनकी समीक्षा करना।
- स्वतंत्र भारत के सामने शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ थीं, इनका सामना करने के लिए किन संसाधनों व तरीकों का उपयो किया। इनकी समीक्षा करना।

- भारत में अपनाए गये वैकल्पिक शैक्षणिक प्रयोगों की समीक्षा करना।
- आंकड़ों व अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर शैक्षणिक स्थिति का आकलन करना।

इकाईवार

इकाई 1. आधुनिक विश्व की तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ

अंक-12

1.1 औद्योगीकरण एवं शिक्षा

1.1.1 औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप

1.1.2 श्रम और बाजार के निर्माण में सार्वजनिक शिक्षा (Mass Education) की भूमिका

1.2 राष्ट्र–राज्य, राष्ट्रवाद एवं शिक्षा

1.2.1 आधुनिक राष्ट्र–राज्यों का उदय और स्वरूप

1.2.2 राष्ट्र, राज्यों के निर्माण में सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका

1.3 लोकतंत्र एवं शिक्षा

1.3.1 लोकतंत्र का सिद्धांत और नागरिकों की भूमिका व अधिकार

1.3.2 लोकतंत्र में शिक्षा

1.3.3 लोकतंत्र में शिक्षा के आदर्श

इकाई 2. आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा

अंक-10

2.1 आधुनिक विद्यालयों का विकास

2.1.1 इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास

2.1.2 जर्मनी में सार्वजनिक शिक्षा का विकास

2.1.3 अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा का विकास

2.1.4 तुलनात्मक विवेचना

2.2 सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थाओं की समालोचना

2.2.1 पाउलो फ्रेरे

2.2.2 जॉन होल्ट

2.2.3 अध्यापक के नाम पत्र–बारबियाना स्कूल के बच्चे

2.2.4 इवान इलिच

इकाई 3 वैश्वीकरण और शिक्षा

अंक-8

3.1 वैश्वीकरण का आशय व प्रमुख विशेषताएँ

3.1.1 पूंजी का प्रवाह

3.1.2 उत्पाद का प्रवाह

3.1.3 श्रमिकों का प्रवाह

3.2 वैश्वीकरण का राष्ट्र–राज्य पर प्रभाव

3.2.1 औद्योगिक नीतियों पर प्रभाव

3.2.2 वैश्वीकरण का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

3.2.3 किसानों व असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

3.3 वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

इकाई–4 स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास – 1947 से 1992 तक

अंक-

4.1 उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग : समीक्षा

4.1.1 संविधान में शिक्षा

4.1.2 आजाद भारत में बुनियादी शिक्षा

4.1.3 विश्वविद्यालय आयोग (उच्च शिक्षा आयोग) 1948

4.1.4 माध्यमिक शिक्षा (मुदालियार) आयोग (1952–53)

4.2 कोठारी आयोग– राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा आयोग–सिफारिशें तथा उनका क्रियान्वयन की समीक्षा।

4.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964–66

4.2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

4.2.3 कार्यान्वयन की समीक्षा

4.3 1980 के दशक में शिक्षा की स्थिति व नई शिक्षा नीति, 1986

4.3.1 1980 के दशक तक की शैक्षिक स्थिति

4.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

4.4 'शिक्षा बिना बोझ के' समिति की रपटः यशपाल कमेटी 1992

4.4.1 यशपाल समिति के सुझावों की समीक्षा

इकाई–5. भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर– 1992 के बाद

अंक-1

5.1 अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक पहल

5.2. भारत में शैक्षणिक पहल–पहला चरण (1991–2001 तक)

5.2.1 ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

5.2.2 वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था और पैरा शिक्षक

5.3 भारत में शैक्षणिक पहल–दूसरा चरण (2002 – अब तक)

5.3.1 शिक्षा का अधिकार कानून की पृष्ठभूमि एवं विवेचना

5.3.2 सर्व शिक्षा अभियान

5.3.3 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

5.4 भारतीय शिक्षा में उभरते मुद्दे

5.4.1 शिक्षा का निजीकरण

5.4.2 विद्यालयी व्यवस्था में जवाबदेही

5.4.3 शिक्षकों की बदलती परिस्थितियाँ

5.4.4 शिक्षा में समुदाय की भूमिका

इकाई-6. शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय

अंक-10

6.1 देश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक पहल व नवाचार

6.1.1 गुजरात में आश्रम शालाएँ

6.1.2 एम.वी.एफ. हैदराबाद

6.1.3 होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम,

6.1.4 ऋषि वैली प्रयोग

6.2 राजस्थान राज्य में शैक्षणिक पहल व नवाचार

41-50

6.2.1 राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना

6.2.2 लोक जुम्बिश परियोजना

6.2.3 जनशाला कार्यक्रम

6.2.4 लहर कार्यक्रम

6.2.5 दूसरा दशक परियोजना

इकाई-7. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शैक्षिक आंकड़ों का महत्त्व

अंक-8

7.1 आँकड़ों का महत्त्व

7.2 आँकड़ों के प्रकार

7.3 आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रमुख विधियाँ

7.3.1 सांख्यिकी गणनाओं से विश्लेषण

7.3.2 मानचित्र के माध्यम से आँकड़ों का विश्लेषण

7.3.3 दंड आरेख (Bar Diagram) के माध्यम से विश्लेषण

7.3.4 पाई डायग्राम के माध्यम से विश्लेषण

7.3.5 सारणीयन में प्रदर्शन एवं विश्लेषण

हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता

कुल अंक–100
बाह्य मूल्यांकन–60
आंतरिक मूल्याकंन–40
कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

जब बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर तक आते हैं, तो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के साथ–साथ लिखित अभिव्यक्ति भी सुदृढ़ हो जाती है। बच्चे अपने चिंतन एवं विचारों को क्रमिक, स्वतंत्र एवं मौलिक रूप से अभिव्यक्ति कर पाते हैं। उनमे परिवेशीय सजगता, आत्मचिंतन ,तार्किकता आदि कौशल भी विकसित होने लगते हैं अतः द्वितीय वर्ष में हिंदी भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम इस उद्देश्य से बनाया गया कि वह विद्यार्थी शिक्षक को इस योग्य बनाए, कि वह बच्चों में इन भाषायी कौशलों को और अधिक विकसित करें एवं एन.सी.एफ. 2005 की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी शिक्षण करा पाएँ।

इसके साथ ही यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी–शिक्षक में स्वाध्याय की आदत, सृजनात्मक लेखन, साहित्य की विधाओं की समझ, साहित्य के पहलुओं की समझ एवं भाषा की संरचना के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के उद्देश्य को पूर्ण करता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी–शिक्षक से यह अपेक्षा कि जाती है कि वे अपने साथ–साथ बच्चों में इन सभी कौशलों को विकसित कर सकेंगे, साथ ही सतत एवं व्यापक रूप से बच्चों का आकलन करने में सक्षम बन सकेंगे।

उद्देश्य

- उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन के तरीके समझना।
- मौखिक अभिव्यक्ति का उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विकास के पहलू और चरण समझना।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखना–सिखाना, पढ़कर समझना, विचारों को मौखिक व लिखित रूप में तारतम्यता से व्यक्त करने की प्रक्रियाओं को समझना।
- विद्यार्थी–शिक्षक की भाषायी क्षमताएँ विकसित करना।
- विद्यार्थी–शिक्षक को इस योग्य बनाना कि वह सभी भाषायी क्षमताएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में विकसित करने के लिए गतिविधियाँ बना सके और उन्हें संचालित कर सकें।
- विद्यार्थी–शिक्षक समय–समय पर बच्चों की क्षमताओं के विकास का आकलन कर सकें।
- बच्चों के लिए उपयुक्त स्तर पर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति के विकास के अवसर निर्मित कर सके।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन के तरीके **अंक–5**

एन.सी.एफ. 2005 के अनुसार – उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य व स्वरूप, मूल्यांकन

इकाई-2. मौखिक अभिव्यक्ति (उच्च प्राथमिक स्तर) अंक-15

2.1 सुन कर समझना

2.2 बोल कर विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति

2.2.1 सैद्धांतिक पक्ष – आवाज़ के पहलू और उनके अर्थ से सम्बन्ध (कर्कश, मृदु, बीच में थमना, आरोह, अवरोह), संदर्भ के पहलू और उनका अर्थ से संबंध, विभिन्न तरह के संदर्भ (औपचारिक/अनौपचारिक वार्तालाप, नाटक, भाषण, खबर और उनकी विशेषताएँ), सुनने व बोलने वालों की अपनी पृष्ठभूमि, पूर्व ज्ञान एवं सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू, श्रवण से वंचित व्यक्तियों की भाषा के पहलू।

2.2.2 विद्यार्थी–शिक्षक के सुनने–बोलने के कौशलों का विकास – आदेश व निर्देश की भाषा समझना व उन में अंतर कर पाना, सुने हुए आदेश व निर्देशात्मक भाषा की समझ, अंतर एवं व्यवहार, विभिन्न तरह के वार्तालाप समझना और उनको समझ कर वार्तालाप में भाग लेना, टी.वी/रेडियो पर खबर, भाषण, नाटक को देख/सुनकर समझना और अपने शब्दों में मौखिक और लिखित रूप में सार व विश्लेषण प्रस्तुत करना, पढ़ कर सुनाई गई पाठ्य वस्तु, जैसे–कहानी, नाटक, लेख, कविता, अखबार की रपट को समझना और उसका मौखिक व लिखित सार व विश्लेषण प्रस्तुत करना।

2.2.3 बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अवसर उपलब्ध कराना – उपर्युक्त क्षमताओं को बच्चों में विकसित करने के अवसर प्रदान करना।

2.2.4 मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन

इकाई-3. पढ़कर समझना अंक-15

3.1 सैद्धांतिक पक्ष – पाठ्य की जटिलता के स्तर और उसके कारकों को समझना, अलग–अलग तरह के पाठ व उनकी विशेषताएँ (कहानियाँ, लोक कथाएँ, पंचतंत्र, मिथक, फन्तासी, वास्तविक कहानियाँ, विज्ञान रोमांच, उपन्यास–किशोर उपन्यास, कविता, लम्बी कविता, दोहे, चौपाई, खबर, लेख, विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक पाठ्य), पाठ को समझने के स्तर – शाब्दिक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, शब्द शक्तियों का उपयोग– अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, पढ़कर समझने की प्रक्रियाएँ/अवधारणाएँ – सरसरी तौर पर/शब्दशः पठन, अंदाज/अनुमान लगाना, समझकर पढ़ना, तुलना करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, ब्रेल लिपि की समझ।

3.2 विद्यार्थी–शिक्षक की पढ़कर समझने की क्षमता का विकास – विद्यार्थी–शिक्षक में उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यवस्तु पढ़ कर समझना, उसका विश्लेषण करना व संदर्भों से जोड़ना, उपयुक्त बाल साहित्य को पढ़कर रुचि विकसित करना, पाठ्य सामग्री पर तार्किक चिंतन करना।

3.3 बच्चों की पढ़कर समझने की क्षमता का विकास – विभिन्न विषयों पर लेख, समाचार पत्रों की खबरों व आलेख आदि को पढ़कर समझ पाना एवं अन्तर कर पाना, पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ कर उनका सार समझ पाना, पाठ्येतर सामग्री पढ़ने में रुचि विकसित करना,

इकाई-4. लिखकर अभिव्यक्त करना अंक-10

4.1 लिखने के विकास के सैद्धांतिक पक्ष – लेखन के सांस्कृतिक पहलू –लेखन का उद्देश्य, उसकी दृष्टि व सांस्कृतिक

पृष्ठभूमि, लेखन के स्तर समझना,लेखन के लिए बातचीत का महत्त्व।

4.2 विद्यार्थी–शिक्षक की लिखने की क्षमता का विकास – लेखन की योजना बनाना, विवरणात्मक लेख, कहानी, खबर, संस्मरण कविता, नाटक वर्णनात्मक लेख, तार्किक लेख घटना का विवरण लिखना, अपने और साथियों के लेखन का विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करना।

4.3 बच्चों में लेखन क्षमता का विकास – लिखने के उद्देश्य एवं पाठक के साथ संबंध स्थापित करना/चुनना, छात्र–छात्राओं में विविध लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना, लेख का ढाँचा (आउटलाइन) बनाना, उचित शब्द और उपमाएँ चुनना, ड्राफ्ट बनाकर उसे परखना।

इकाई-5. साहित्य के विभिन्न पहलू — अंक-5

5.1 साहित्य की समझ

5.2 छन्द–युक्त कविता, (विभिन्न प्रकार के छन्द व उनकी विशेषताएं), छन्द–मुक्त कविता,

5.3 गद्य विधाएँ रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज, पत्र आदि का अध्ययन, अध्यापन

5.4 लेखन, परिवेश, पात्र, पाठ्य की संरचना आदि का संदर्भ

5.5 बाल साहित्य की समझ एवं उसका कक्षा में उपयोग

इकाई-6. भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू — अंक-5

6.1 हिंदी की शब्द संरचना–मूल शब्द से उसके रूप बनने के नियम,

6.2 ध्वनि संरचना

6.3 वाक्य संरचना के पहलू, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य।

6.4 संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय

ईकाई-7. मूल्यांकन — अंक-5

7.1 सतत मूल्यांकन के उपकरण एवं तरीके

7.2 भाषा के उपरोक्त पहलू–मौखिक, पढ़ना, लिखना आदि के मूल्यांकन के सिद्धांत व तरीके

7.3 भाषाई कौशलों तथा पहलूओं मुख्य बिंदु पहचानना।

7.4 अवलोकन के बिन्दु एवं साक्ष्य एकत्रीकरण

7.5 सामूहिक एवं व्यक्तिशः अवलोकन (मौखिक–वार्तालाप, भाषण, नाटक, पढ़कर सुनाना आदि एवं लिखित लेख, कहानी कविता, खबर आदि)

– साक्ष्य के आकलन के पैमाने बनाना

PEDAGOGY OF ENGLISH LANGUAGE

Maximum Marks: 100
External : 60
Internal : 40
Student Contact Periods : 140

Area of Study: Pedagogy of English

Design of the Course

- Part A deals with the personal proficiency of the student-teacher
- Part B, Units 3, 5 and 6 should be rooted in the school classroom for student-teacher observation, analysis and discussion
- In these units the maximum time must be spent on discussing specific strategies for teaching English
- Subject-specific readings are suggested in all units for use in discussion groups enabling a direct relationship between theory and practice
- Part C deals with the delivery of lessons by student teachers for peer observation plus the assignments, activities and projects spread across the units under CCE

Rationale and Aim

This course focusses on the teaching of English to learners at the upper primary level. The aim is also to expose the student-teacher to contemporary practices in English Language Teaching (ELT).

The theoretical perspective of this course is based on a constructivist approach to language learning. This course will enable the student-teacher to create a supportive environment which encourages their learners to experiment with language learning. The course will also focus on developing an understanding of second language learning.

Specific Objectives

- Upgrade the student-teacher's proficiency in English so that s(he) is able to confidently be part of the teaching-learning process
- Equip student-teachers with a theoretical perspective on English as a 'Second Language' (ELT)
- Enable student-teachers to grasp general principles in language learning and teaching
- To understand young learners and their learning context
- To grasp the principles and practice of lesson planning for effective teaching of English
- To develop classroom management skills; procedures and techniques for teaching language
- To examine and develop resources and materials for use with young learners for language teaching and testing
- To examine issues in language assessment and their impact on classroom teaching.
- To brush up their knowledge of grammatical, lexical and discourse systems in English
- To enable students to link this with pedagogy
- To re-sequence units of study for those who may have no knowledge of English.

Running Thread of the Course

The course is designed to be very practical in nature and includes equipping the student-teacher with several teaching ideas to try out in the classroom. It is important to make a constant theory-practice connection for the student-teachers.

Units of Study

PART A : Enhancing the Proficiency Level of the Participants

Contact Periods : 50 periods

(Allotted periods spread over the year)

Marks : Internal - 25 marks

External 10 marks

Unit 1 : Listening and Speaking

1. Understanding sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance
   - ✦ Very basic personal and family information, shopping, local geography, employment
2. communicating in simple and routine tasks (requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters)
3. Describing in simple terms
   - ✦ Aspects of his / her background, environment and immediate needs
4. Understanding radio and television news in English (without too much effort)
   - 4.1 Note-taking and checking for accuracy with headlines
   - 4.2 Elaborating the notes taken (oral and written)
5. Understanding extended speech and lectures and following complex lines of argument (provided the topic is reasonably familiar)
   - 5.1 Taking notes to recollect
6. Taking part effortlessly in any conversation or discussion; having familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms
7. Formulating ideas and opinions with precision
8. Giving clear-cut instructions and explanations to understand simple and complex matters using different communication tools and strategies
9. Presenting a description or argument with an effective logical structure

Unit 2 : Reading Comprehension

1. Reading very short, simple texts to find specific, predictable information in simple everyday material
   - ✦ Newspapers, advertisements, prospectuses, menus, timetables, personal letters, written instructions, questions
2. Reading with ease all forms of the written language
   - ✦ Mobile messages, e-mails, notices, circulars, posters, pamphlets, academic texts, literary texts, etc. - comprehensions on location, inference, etc.
3. Understanding texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language
   - ✦ School records, job descriptions, school / company profiles, products in market - comprehension questions
4. Understanding description
   - ✦ Personal letters with wishes and feelings, formal letters with description of events
5. Understanding factual and literary texts of varying length
   - ✦ One act plays, modern poems, extract from modern novels, essays
6. Drawing inferences from texts
   - ✦ Articles, argumentative essays, opinion essays
7. Understanding the discourse structure of various genres
   - ✦ Short stories, novels, plays, essays
8. Understanding articles with various subtitles and complex organisational structure
   - ✦ Journal articles on familiar topics (NCERT journals, Teacher Plus, EduTrack, EduExplorer)

Unit 3 : Enhancing writing abilities

1. Taking notes of the oral and written texts with complex lines of argument
   - ✦ Note-taking of the oral texts, note-making of the written texts
2. Presenting a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to the context and with an effective logical structure
   - ✦ Description of persons, places and objects
3. Presenting clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion

Unit 4 : Enhancing overall personal proficiency of the student-teacher

1. Understanding and summarising information from different spoken and written sources
   - ✦ Writing summaries of conversations and different texts (newspaper articles, journal articles, essays, etc.)
2. Expressing him / herself spontaneously, very fluently and precisely
   - ✦ Self introduction, extempore speech, JAM sessions, etc.
3. Understanding a wide range of demanding, longer texts, and recognising implicit meaning
   - ✦ Reading complex and long passages and drawing inferences
4. Producing clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices
   - ✦ Writing well-structured essays and articles, reports

PART B :

Unit 1 : The Learner and Language

Contact Periods : 12 periods

Marks : Internal - 02 marks

External - 08 marks

1. Nature of the learner
   - 1.1 Different kinds of learners (first generation learners, young learners, beginners)
   - 1.2 Social factors (family, peers, school, society)
   - 1.3 Analytical discussion based on readings of social factors affecting the learners
   - 1.4 Psychological factors (attitudes, aptitude, motivation, needs levels of aspiration)
2. Nature of the language
   - 2.1 using the mother tongue as a resource for learning second language; designing an activity for teaching any of the four skills building on mother tongue as a resource
   - 2.2 perspectives on the 'appropriate age' for beginning the teaching of English in India

Unit 2 : Structure of English Language

Contact Periods : 14 periods

Marks : Internal - 02 marks

External - 08 marks

1. Sound patterns
   - ✦ Diphthongs, triphthongs, consonant strings, syllables, stress at sentence level and intonation
2. Structure of Hindi and English sentences
   - ✦ (S O V and S V O)
3. Teaching grammar to children
   - 3.1 Grammar teaching strategies (activities / tasks / games)

3.2 Basic language / grammar aspects : revision of previously learnt structures; determiners (definite and indefinite article, omission of 'the', each, every); prepositions (movement and direction); pronouns (relative and reflexive); phrasal verbs; quantifiers; linking words (because, as, so, since, though, although, while, until); adjectives (comparison of adjectives, the order of adjectives); adverbs (manner); tense forms (broadly cover all the tense forms); clauses ('if' clause, noun clause, adjective clause, relative clause); simple, compound, complex sentences; positive and negative sentences; cohesive markers (first, then, and then, next, after, finally, lastly); passivisation (with double objects, without an agent); modal auxiliaries (can, could, may, might, must, ought, will, would, shall, should); reported speech (direct and indirect)

Unit 3: Teaching Strategies and Skills

Contact Periods : 24 periods

Marks : Internal - 04 marks

External - 12 marks

1. Traditional methods and approaches of teaching English
   - 1.1 Grammar-translation method, direct method, structural approach, audio-lingual method
2. Contemporary approaches and methods of teaching English
   - 2.1 Situational approach, functional approach, communicative language teaching approach, task-based language teaching method, eclectic approach, computer assisted language teaching method, constructivist approaches, TPR
   - 2.2 Discussion on the merits and demerits of traditional and contemporary approaches and methods of teaching English
3. Dealing with affective factors in a language classroom
   - 3.1 Situation-based solutions for dealing with affective factors in a language classroom : motivation, anxiety, shyness, hyeractivity (group discussion)
4. Dealing with communication barriers in a language classroom
   - ✦ Listening, speaking, reading, writing)
5. Understanding the importance of inclusive education for children with special needs
6. Materials and activities to facilitate learning
   - 6.1 Listening : effective listening through stimulus variation; stages for an effective listening environment in the classroom; Poetry - Recitation (reading material to be presented); examples of types of poetry used in the different upper primary classes, their conduct, purpose; list under classes the types of poetry they would use with reasons; identification and presentation of 5 rhymes / poems under each category
   - 6.2 Speaking : seeing children's talk as valuable; reducing the teacher's talk-time in the classroom; free articulation - story-telling; talk on given theme for 4 minutes (individual); giving simple directions (to make / operate things, reaching a place); conversation - dialogue (pair); discussion, debate (group); discussion based on reading material on spoken language; using pair-work and group-work meaningfully to encourage speaking and participation
   - 6.3 Reading : intensive and extensive reading; aloud and silent reading; skimming and scanning; pre-, while- and post- reading; kinds of texts and genres : why and how they help; student-teacher development of two reading activities for two different classes
   - 6.4 Writing : brainstorming, sequencing / organising information; description, narration, paragraph and essay writing, diary writing, message writing, reviewing a book / TV serials, letters and process writing
7. Some integrated activities for the classroom
   - ✦ Role play / drama, surveys, research projects, reviews and reports, invitations, posters and pamphlets; presenting a write-up for each activity / task along with a demonstration of the same; analysing the given situation and deciding on what action to be taken with reasons; connecting with NCF - 2005 the situation reflects; delivering 2 lessons for peer criticism at two different classes

Unit 4: Planning and Materials Development

Contact Periods : 20 periods

Marks : Internal - 04 marks

External - 12 marks

1. Understanding and analysing the Syllabus Guidelines for Rajasthan, Upper Primary level
2. Unit planning for a learner-centred classroom
   - 2.1 Designing a unit for a learner-centred classroom
   - 2.2 Components of a teaching plan
   - 2.3 Format of a teaching plan
3. Preparation of low-cost teaching-learning materials
   - 3.1 Reading materials on scope and types of teaching-learning materials
   - 3.2 Overview and demonstration of a variety of teaching aids
4. The text-book : developing reading habits, personal response to poems and stories, adapting a text-book
5. Beyond the text-book
   - 5.1 Including children's literature in the classroom (poems, stories, etc.)
   - 5.2 Identifying supplementary material and designing activities to teach all four skills

Unit 5: Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE)

Contact Periods : 20 periods

Marks : Internal - 03 marks

External - 10 marks

1. Assessment and Evaluation 'NCF - 2005'
   - 1.1 The NCF perspective of English language assessment
2. Assessment of learning, for learning and as learning
   - 2.1 Meaning, implications and process
3. Tools and techniques
   - 3.1 Observation, anecdotal notes, portfolios, grading, self and peer assessment
4. Assessing language skills
   - 4.1 Assessing listening
   - 4.2 Assessing speaking
   - 4.3 Assessing reading
   - 4.4 Assessing writing
5. Attitude towards errors and mistakes in second language learning
   - 5.1 Positive feedback based on occurrence of errors and their follow-up
   - 5.2 Ways to reduce error frequency
   - 5.3 Comparison of treatment of errors and mistakes in traditional and contemporary approaches and methods 6

Student Teacher Evaluation

External

- Personal Proficiency : Part A (objective type questions, free writing exercises and comprehension - listening and speaking; reading, writing, grammar / language)
- The Learner and Language; English Language in India : Part B : Units 1 and 2 (objective, short and long answer type situational / application-based questions
- Teaching Strategies and Skills; Planning and Material Development : Part B : Units 3 and 5 (short answer type situational questions / application-based questions)

- Structure of English Language : Unit 4 (objective type / short answer type questions)
- Continuous and Comprehensive Evaluation : Unit 6 (objective type question / one question to create a task showing whether continuous assessment has been understood and another one-time evaluation task to assess reading, writing and grammar / language development)

Contact Periods

Marks : **Internal - 40 marks** (25 marks for CCE across 5 units plus - pen and paper tests which would be 2 in number {corresponding with assignments suggested below} + 15 marks for lesson delivery, overall personal proficiency, projects and activities)

This will include the continuous comprehensive evaluation of the student-teacher along with the student-teacher's delivery of 5 lessons critiqued by peers

Listed below are the suggested assignments, activities and projects for the student-teacher's Continuous Comprehensive Evaluation

- Assignments
  - Unit 1: analytical essay-type and situational questions; Unit 2: analysis of the merits and demerits of the traditional and contemporary approaches and methods of teaching English; Unit 3: situation-based solutions for dealing with affective factors in a language classroom (paper preparation and reading); Unit 4: analytic account on different theories related to grammar teaching / learning, stating with reasons which would work best in a class; Unit 5: designing a unit for a learner-centred classroom; Unit 6: comparison of treatment of errors and mistakes in traditional and contemporary approaches and methods
- Activities
  - Part A : listening and reading comprehension; short story and poem writing; Part B : Unit 1 - designing an activity for teaching any of the four skills building on mother tongue as a resource; Unit 2 - list words that a child brings with him/her at the beginning of the upper primary stage and make sentences grouping four words together; Unit 3 - identification and presentation of 5 rhymes / poems under each category; giving simple directions (to make / operate things, reaching a place); student-teacher development of two reading activities for two different classes; writing the middle part of a story which has a beginning and end or completing an incomplete story; Unit 4: prepare and present four grammar / language aspects for the three different class levels; Unit 5: identifying supplementary material (1 prose and 1 poem) and designing activities to teach all four skills; Unit 6: preparing a task to assess two competencies for classes VI, VII and VIII
- Projects
  - wall newspaper / magazine
  - charts / Posters on a given topic
  - analysis of at least four school textbooks each for classes VI, VII and VIII in English (government and private) and presenting a report on findings
  - one-act play on a current issue (like gender sensitivity)

Mode of Transaction

- Observation at the field level
- Close reading of theoretical concepts in language learning and ESL
- Discussions on the observations at field level and the readings
- Developing and trying out various resources, techniques, activities and games for learning English
- Text analysis of school text-books for English - state produced and by private publishers
- Analysing and reviewing teaching-learning material

गणित शिक्षण

कुल अंक–100
आंतरिक मूल्यांकन–40
बाह्य मूल्यांकन–60
कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम मुख्यतः प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली गणित की प्रमुख अवधारणाओं तथा गणित शिक्षण पर ही केन्द्रित था। द्वितीय वर्ष के लिए प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली गणित की प्रमुख अवधारणाओं तथा गणित शिक्षण पर गहरी समझ बनाने के अवसर मिलेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत सभी उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए विषय शिक्षक उपलब्ध कराना है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी–शिक्षक की गणित विषय एवं गणित शिक्षण में बेहतर तैयारी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इस पाठ्यक्रम में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली गणित का दोहरान किया गया है वहीं एन.सी.एफ–2005 की अनुशंसाओं के अनुरूप पढ़ाने के तरीके में भी नवाचारी विचारों तथा विधियों का समावेश किया गया है।

उद्देश्य

- उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली गणित के संदर्भ में विषयवस्तु की व्यापक समझ बनाना।
- गणित को ज्ञान क्षेत्र के रूप में समझना तथा गणितज्ञों के कार्यों से परिचय कराना।
- गणित की विभिन्न शाखाओं– अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के अंतर्संबंधों को समझना।
- गणित शिक्षण के संदर्भ में राजस्थान राज्य के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को समझना।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के अवसर प्रदान करना।
- गणित शिक्षण के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विचार को समझना।

इकाईवार विवरण

इकाई 1. गणित की प्रकृति और गणित का सीखना-सिखाना — अंक 8

1.1 कथन, कथनों के प्रकार, प्रत्युदाहरण एवं निगमनिक तर्क

1.2 गणित में परिभाषा तथा स्वयंसिद्ध सत्य

1.3 कंजेक्चर, प्रमाण, सत्यापन तथा अभिगृहीत

1.4 उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने–सिखाने के विभिन्न तरीके

इकाई 2. संख्याएं एवं संख्या पद्धतियाँ — अंक 12

2.1 अल्गोरिदम एवं मानक विधि

2.2 ऋणात्मक संख्याएँ

2.3 पूर्णांकों की समझ, गुणधर्म एवं संक्रियाएँ

2.4 अनंत की अवधारणा

2.5 परिमेय संख्याएँ, गुणधर्म एवं सक्रियाएँ

2.6 वर्ग संख्याएँ

2.7 घन संख्याएँ

2.8 भाजक एवं अभाज्य संख्याएँ

इकाई 3. ज्यामिति तथा मापन

ज्यामिति — अंक 12

3.1 ज्यामिति का इतिहास तथा प्रकृति

3.2 वेन हिले द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के स्तर

3.3 स्थानिक समझ तथा प्रत्यक्षीकरण

3.4 रेखाएँ, कोण एवं बहुभुज

3.5 सममिति तथा सर्वांगसमता

मापन

3.6 क्षेत्रमिति

3.7 ठोस के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल

3.8 निर्देशांक ज्यामिति

इकाई 4. बीजगणित तथा बीजगणितीय चिंतन 31-40 — अंक 8

4.1 बीजगणितीय चितंन क्या है?

4.1.1 अंकगणित का सामान्यीकरण और बीजगणित

4.1.2 प्रक्रिया से नियम की ओर बढ़ने के चरण

4.2 संबंध आधारित चिंतन को विकसित करने हेतु पैटर्न का उपयोग

4.2.1 पैटर्न एवं सामान्यीकरण

4.2.2 प्रतीकीकरण

4.2.3 अमूर्तीकरण

4.3 बीजगणितीय विषयवस्तु

4.3.1 रैखिक समीकरण

4.3.2 व्यंजकों का गुणा

4.3.3 व्यंजकों के गुणनखण्ड

4.4 बीजगणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को आने वाली परेशानियाँ

इकाई 5. आँकडों का प्रबंधन, प्रायिकता तथा व्यावसायिक गणित — अंक 12

5.1 आँकडों का प्रबंधन : आँकडों का प्रदर्शन एवं विश्लेषण तथा उपयोग, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तथा इनका प्रयोग

5.2 संभावना एवं प्रायिकता

5.3 व्यावसायिक गणितः अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि तथा ब्याज

इकाई 6. मूल्यांकन — अंक 8

6.1 आकलन क्या एवं क्यों?

6.2 आकलन कैसे?

6.3 आकलन की प्रक्रिया के पक्ष

6.4 आकलन कब करें?

6.5 आकलन के तरीके

6.6 गुणात्मक टिप्पणी

6.7 आकलन का अभिलेखन (रिकार्डिंग)

6.8 विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता

6.9 गणित के संदर्भ में सतत एवं समग्र आकलन के सूचक

तृतीय भाषा शिक्षण : संस्कृत भाषा शिक्षण

पूर्णांकः – 10

आन्तरिक–मूल्यांकनम् – 4

बाह्य–मूल्यांकनम् – 6

कालांशाः – 14

परिप्रेक्ष्यम्,

संस्कृत–भाषा भारोपीयः (इण्डो–यूरूपीयः) भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति, यस्मिन् लेटिन–ग्रीक–फ्रेंच इत्यादयः भाषाः अपि सन्ति। इयं विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु एका अस्ति। अनेकेषां भारतीय–भाषाणां विशेषतः उत्तरभारतस्य भाषाणां विकासे अस्या महत् योगदानं वर्तते। समान भाषा परिवारस्य समान च भौगोलिक–सांस्कृतिक क्षेत्रस्य अनेकानेक–भाषाणां संरचनाम् अवबोद्धाथ संस्कृत–भाषायाः बहु–उपयोगिता अस्ति। अतएव संस्कृत–भाषा कृते अधिभाषा (META-Language) इति उपाधि प्रदीयते। भारतभूमौ विकासस्य कारणेन, क्षेत्र–विशेषेण असंबद्धता कारणेन, प्रचुर–साहित्यस्य उपलब्धतायाः आधारेण अपि संस्कृत–भाषायाः महत्त्वं पृथक्रूपेण रेखांकितं क्रियते। 2005 तमे ईसवीये वर्षे अस्याः भाषायाः कृते शास्त्रीय–भाषा इति उपाधिः प्रदत्त।

संस्कृतस्य विपुलं साहित्यं अस्माकं कृते अमूल्य–निधिः अस्ति। अस्याः मुख्यधारायाम् एकतः वैदिक–वाङ्मयम् अस्ति अपरतश्च भास–कालिदास–भवभूति–माघ–बाणभट्ट–भर्तृहरि सदृशाणां महतां रचनाकाराणां कृतयः सन्ति। अनेन सहैव संस्कृत–काव्यस्य लोकधारा अपि अस्ति यस्यां जनसामान्यस्य लघु–लघु इच्छानां पुनश्च तेषां जीवनकाठिन्यस्य कृते अपि स्वरप्राप्तिः संजाता।

सुभाषित–संग्रहेषु संकलित–मुक्तकानां रूपेण लोकधारायाः ज्ञात–अज्ञात कवीनां याः कृतयः मिलन्ति। ताः केवलं विषयवस्तु रूपाः एव न सन्ति अपितु शिल्प–शब्दसम्पदा–लोककथनादि दृष्ट्यापि सम्पन्नाः सन्ति। एताः सर्वाः धाराः मिलित्वा संस्कृतभाषा समृद्धिम् अकुर्वन्।

संस्कृतभाषां ऐतिहासिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्ये निक्षिप्य विचारकरणम् अपेक्षितं अस्ति। अस्य कृते राष्ट्र–निर्माणस्य प्रक्रियां अपि अवबोधनम् आवश्यकं यत्र संस्कृत–भाषा विशिष्ट–स्थानं लभते। त्रिभाषा सूत्रस्य आधारे अनेकेषां राज्यानां इव राजस्थाने अपि तृतीय–भाषा रूपेण षष्ठी–कक्षायाः अष्टमी कक्षा पर्यन्तं संस्कृतं पाठ्यते।

संस्कृत–भाषायाः शिक्षणं शास्त्रीय–भाषा रूपे भवेत् एका आधुनिक–भारतीय–भाषा रूपे वा इदं दीर्घकालात् अनिर्णितम् एव। 1994 तमे ईसवीये वर्षे भाषा शिक्षणे संस्कृतस्य स्थाने उच्चतमः न्यायालयस्य यः निर्णयः समागतः तेन स्पष्टं अभवत् यत् संस्कृतम् आधुनिक भाषायाः रूपे पाठने कापि दुविधा न स्यात्। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इति भारतीय भाषाणां शिक्षणे केन्द्रिते 'पोज़िशन पेपर' इति अन्तर्गते अपि इदं कथितं यत् आधुनिक भारतीय भाषा रूपे इदं सम्भवम् अस्ति यत् संस्कृतं न केवलं शास्त्रीयं पारम्परिकं च अपितु वाग्व्यवहारे प्रयुक्त–भाषायाः रूपे लेखनं, वदनं, पठनं च भवितुं शक्यते।

यथार्थरूपे अस्माभिः संस्कृतस्य कृते किं स्थानं प्रदीयते, केन रूपेण च दृश्यते, अनेनैव संस्कृत–भाषा–शिक्षणस्य रूप–निर्धारणं भवति। इदम् आवश्यकमस्ति यत् उच्च प्राथमिक विद्यालयेषु एकस्याः आधुनिक–भारतीय–भाषायाः रूपे संस्कृतस्य शिक्षणं भवेत्। भाषा–शिक्षणस्य ये सिद्धान्ताः अन्यासु भाषासु स्वीक्रियन्ते तान् संस्कृते स्वीकृत्य पठन–पाठनस्य आवश्यकता अस्ति।

सहैव, इदं स्मरणस्य आवश्यकता अस्ति यत् उच्च प्राथमिक स्तरे प्रथमं वारं इयं भाषा बालकानां सम्मुखे आयाति। इदमपि सत्यमस्ति यत् दैनिकचर्यायाम् अधिकांशतः बालकानाम् अनया साक्षात्कारः न्यूनम् एव भवति। तेभ्यः संस्कृतं पठनस्य–श्रवणस्य प्रयोगस्य च अवसराः न्यूनाः एव मिलन्ति। अधुना परिवर्तिते काले प्रत्येक–कक्षा बहुभाषिका कक्षा अस्ति यत्र अनेकानेकः समुदायाः स्थानं प्राप्तवन्तः। अस्यां बहुभाषिक–कक्षायां संस्कृतस्य शिक्षणे पारम्परिक शिक्षण विधिभिः समुचितं शिक्षणं सम्भवं नास्ति। अद्य

आवश्यकता अस्ति यत् नवीन शिक्षण पद्धतिनां माध्यमेन संस्कृतस्य सम्पूर्ण–कलेवरस्य अवलोकनं भवेत् पुनश्च तस्य जीवनेन सह योजनं अपि भवेत्। तदैव संस्कृत भाषायाः सौन्दर्येण तस्याः च साहित्यस्य विशालतया विविधतया च जनाः परिचिताः भविष्यन्ति संस्कृत–भाषां च एका सशक्त–भाषा रूपेण ग्रहितुं समर्थाः भविष्यन्ति।

उद्देश्याः

- संस्कृत–भाषाम् ऐतिहासिक–सामाजिकौ परिप्रेक्ष्ये निक्षिप्य अवलोकनम्।
- रटनेन विना संस्कृत–भाषायाः संरचनायाः अवबोधनम्।
- बालकस्य परिवेश–सन्दर्भे संस्कृतस्य स्थित्याः भिन्नतां जटिलतां च अवबोधनं तेषां प्रति संवेदनशीलता च।
- संस्कृत–भाषायाः भाषायी कौशलानां विकासकरणं श्रवणं, कथनं, वाचनं, लेखनं।
- संस्कृते मौलिक–अभिव्यक्त्यर्थं प्रेरणम्।
- संस्कृत–भाषा–शिक्षणार्थं सहायक पाठ्य–सामग्र्याः निर्माणम्।
- मूल्यांकनस्य नवीनतमां विधिनां बोधनम्।
- अन्य–भाषाभ्यः विषयेभ्यश्च संस्कृत–भाषायाः तुलनं सामंजस्यकरणं च।
- संस्कृत–माध्यमेन संस्कृत शिक्षणस्य समस्यानाम् अवबोधनम्।

खण्ड–क्रमानुसारं विवरणम्

खण्डः – 1 संस्कृतभाषायाः सामान्यः परिचयः — अंक–10

(क) ऐतिहासिक–सन्दर्भे संस्कृतम्

1.1.1 भारते आर्यभाषा–परिवाराणां विकाससन्दर्भे संस्कृतस्य उत्पत्तिः विकासश्च 1-10

1.1.2 त्रिभाषासूत्रे संस्कृतस्य स्थित्याः अवबोधः

1.1.3 संस्कृतस्य विभिन्नानां विधानां धाराणां च परिचयः

1.1.4 संस्कृतस्य गद्य–पद्य–चम्पू–काव्यानां परिचयः

1.1.5 संस्कृतस्य महत्त्वपूर्णरचनाकारैः सहैव साहित्यस्य संक्षिप्तपरिचयः

(ख) वर्तमान–सन्दर्भे संस्कृतम्

1.2.1 आधुनिक–संस्कृतसाहित्यस्य परिज्ञानम् (विशेषरूपेण राजस्थानसन्दर्भे) 11-20

1.2.2 नैतिक–धार्मिक–मूल्यरूपे संस्कृतशिक्षणस्य सीमा

1.2.3 बालानां परिवेशस्य बहुभाषिकतायाः च अवबोधः

1.2.4 दैनिकजीवने संस्कृतश्रवणस्य, वदनस्य, पठनस्य च अवसराः स्रोतांसि च

खण्डः – 2 संस्कृतभाषायाः संरचना — अंक–15

(क) संस्कृतस्य ध्वनयः, वर्णाः, शब्दाः, वाक्यानि च

2.1. वर्णपरिचयः

2.1.1. ध्वनिवर्णयोः सम्बन्धः

2.1.2. वर्णमाला

2.1.3. माहेश्वरसूत्राणि

2.1.4. वर्णसम्मेलनं शब्दसंरचना च

2.1.5. उच्चारणस्थानम्

2.1.6. प्रयत्नः

2.1.7. अनुस्वार–विसर्ग–हलन्तानां प्रयोगः

2.2. पदपरिचयः

2.2.1. उपसर्गः

2.2.2. प्रत्ययः

2.2.3. अव्ययम्

2.2.4. सन्धिः

2.2.5. समासः

2.2.6. षत्व–णत्व–विधानम्

2.2.7. विशेष्यविशेषणभावः

2.2.8. शब्दरूपाणि

2.2.9. धातुरूपाणि

2.3. वाक्यपरिचयः

2.3.1. लिंगम्

2.3.2. लकारः

2.3.3. वचनम्

2.3.4. पुरुषः

2.3.5. संस्कृते वाक्यसंरचना

2.3.6. कारकम्

2.3.7. वाच्य–परिवर्तनम्

2.3.8. विराम–चिह्नानि

2.3.9. शब्द–भण्डारस्य विस्तारः

2.3.10. संस्कृत–अंकानां ज्ञानम्

(ख) छंदोऽलंकाराः

2.4. छंदसां परिचयः

2.5. अलंकाराणां परिचयः

खण्डः – 3 संस्कृतभाषा–शिक्षणम् अंक–15

(क) सैद्धान्तिकस्तरः

3.1 संस्कृतशिक्षणस्य विधयः

3.1.1 पारम्परिकविधयः

3.1.2 आधुनिकविधयः

3.2 संस्कृतशिक्षणस्य उपागमाः

3.2.1 संग्रन्थन–उपागमः

3.2.2 निदानात्मक–परीक्षणम्, उपचारात्मक–शिक्षणम्

3.3 वर्णपद्धत्याः शब्दपद्धत्याः, पूर्णभाषापद्धत्याश्च परिज्ञानम्

3.4 व्याकरणशिक्षणस्य प्रक्रियायाः अवबोधनम्

3.4.1 वर्णशिक्षणम्

3.4.2 संहिता संयोगश्च

3.4.3 शब्दरूपशिक्षणम्

3.4.4 धातुरूपशिक्षणम्

3.4.5 सन्धिशिक्षणम्

3.4.6 कारकशिक्षणम्

3.4.7 समासशिक्षणम्

3.4.8 लिंगशिक्षणम्

3.4.9 कृत्तद्धितप्रत्ययशिक्षणम्

3.4.10 स्त्री–प्रत्ययशिक्षणम्

(ख) व्यावहारिकस्तरः

3.5 बालकानां शिक्षणस्य स्तरानुरूपं शिक्षणम्

3.6 बालकेभ्यः संस्कृते अभिव्यक्तिं कर्तुमवसराणां सर्जनम्

3.7 अन्यविषयेषु बालकस्य अवधारणात्मकबोधस्य संस्कृतेन सह समन्वयः

3.8 नूतन–वैकल्पिकरूपे भाषायाः शिक्षणं मूल्याकनं च

3.9 विभिन्नसमुदायानां भिन्नक्षमतावतां बालकान् ज्ञात्वा संस्कृतस्य शिक्षणम् 21-30

खण्डः – 4 कक्षोपयोगि–सामग्र्याः निर्माणम् अंक–10

4.1 संस्कृत–सम्भाषण–लेखन–गतिविध्यर्थं योजनानिर्माणम्

4.1.1 संस्कृत–सम्भाषणाय गतिविधयः

4.1.2 संस्कृत–लेखनाय गतिविधयः

4.2 दैनिकशिक्षणयोजनायाः समग्रशिक्षणयोजनायाः च निर्माणम्

4.2.1 दैनिकशिक्षणयोजना

4.2.2 समग्रशिक्षणयोजना

4.3 वर्तमानशिक्षणसामग्र्याः विश्लेषणम्

4.3.1 षष्ठीकक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य विश्लेषणम्

4.3.2 सप्तमीकक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य विश्लेषणम्

4.3.3 अष्टमीकक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य विश्लेषणम्

4.4 बालकानां प्रतिक्रियायाः आधारे योजनायां सामग्र्यां च परिवर्तनम्

4.5 संस्कृतस्य प्राचीनार्वाचीनानां दशरचनाकाराणां परिचयः

खण्डः – 5 मूल्यांकनम् **अंक–1**

5.1 5.1.1 मूल्यांकनस्य विभिन्न विधय

5.1.2 प्रश्न पत्र निर्माणम्

5.1.3 सतत व्यापक च मूल्यांकनम्

5.2 शिक्षकस्य दक्षतायाः परिवर्धनम्–पठने, वाचने, लेखने च

तृतीय भाषा शिक्षण : संस्कृत भाषा शिक्षण (हिंदी अनुवाद)

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–40

बाह्य मूल्यांकन–60

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

संस्कृत भारोपीय (इण्डो यूरोपीय) भाषा परिवार की भाषा है, जिसमें लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाएँ भी हैं। यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। अनेक भारतीय भाषाओं, विशेषकर उत्तर भारत की भाषाओं के विकास में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। समान भाषा परिवार और समान भौगोलिक–सांस्कृतिक क्षेत्र की अनेकानेक भाषाओं की संरचना को समझने के लिए संस्कृत बहुत उपयोगी है इसीलिए संस्कृत भाषा को अधिभाषा का दर्जा दिया जाता है।

भारत की ज़मीन पर विकसित होने, क्षेत्र विशेष से संबद्धता नहीं होने, अनेक भाषाओं की जननी होने और प्रचुर साहित्य की मौजूदगी के आधार पर संस्कृत के महत्त्व को अलग से रेखांकित किया जाता रहा है। सन् 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत का विशाल साहित्य हमारे लिए, अमूल्य निधि है। इसकी मुख्यधारा में एक तरफ वैदिक वाङ्मय है और दूसरी तरफ भास, कालिदास, भवभूति, माघ, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे महान् रचनाकारों की कृतियाँ हैं। इसके साथ ही संस्कृत काव्य की लोकधारा भी है, जिसमें सामान्य जन की छोटी–छोटी इच्छाओं और उनके जीवन की कठिनाइयों को भी स्वर मिला है। सुभाषित संग्रहों में संकलित मुक्तकों के रूप में लोकधारा के ज्ञात–अज्ञात कवियों की जो कृतियाँ हमें मिलती हैं, वे केवल विषय–वस्तु ही नहीं, शिल्प, शब्द–सम्पदा, मुहावरे आदि की दृष्टि से भी सम्पन्न हैं, इन सभी धाराओं ने मिलकर संस्कृत भाषा को समृद्ध किया है।

संस्कृत को ऐतिहासिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी समझना होगा, जिसमें संस्कृत को विशिष्ट स्थान मिला है। त्रिभाषा सूत्र के आधार पर राजस्थान में तृतीय भाषा के रूप में छठी से आठवीं कक्षा तक मुख्यतः संस्कृत ही पढ़ाई जाती है।

संस्कृत भाषा–शिक्षण शास्त्रीय भाषा के रूप में हो या एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में यह मसला लम्बे समय तक अनसुलझा रहा था। 1994 में भाषा शिक्षण में संस्कृत के स्थान पर उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, उसने स्पष्ट किया की संस्कृत को आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाये जाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर केन्द्रित 'पोजिशन पेपर' में भी यह कहा गया है कि आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत में अब यह सम्भव है कि संस्कृत सिर्फ शास्त्रीय और पारम्परिक ही नहीं बल्कि बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में लिखी,बोली और पढ़ी जा सकें।

वास्तव में संस्कृत को हम क्या स्थान देते हैं, किस रूप में देखते हैं, इससे ही संस्कृत भाषा–शिक्षण का तरीका निर्धारित होता है। यह आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत का शिक्षण हो। भाषा–शिक्षण के जो सिद्धान्त दूसरी भाषाओं में अपनाये जाते हैं, उनको संस्कृत में अपनाकर चलने की आवश्यकता है। इसे याद रखा जाए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पहली बार यह भाषा बच्चों के सामने आती है। यह भी तथ्य है कि रोजमर्रा की जिन्दगी में बच्चों का इससे शायद ही साक्षात्कार होता है। संस्कृत पढ़ने–सुनने और उसके प्रयोग का अवसर कम उपलब्ध है क्योंकि अभी भी संस्कृत का दायरा बहुत बढ़ा नहीं है। बदले हुए समय में अभी की कक्षा को हम बहुभाषिक कक्षा के रूप में चिह्नित कर रहे हैं जिसमें अनेकानेक समुदायों को जगह

मिली है। बहुभाषिक कक्षा में संस्कृत के शिक्षण में पारंपरिक शिक्षण विधियों से काम नहीं चलने वाला है। आज आवश्यकता है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों के साथ संस्कृत के पूरे कलेवर को नया रूप दिया जाए और उसे जीवन से जोड़ा जाए. तभी संस्कृत भाषा के सौन्दर्य और उसके साहित्य की विशालता व विविधता से लोग परिचित हो पाएँगे और संस्कृत को एक सशक्त भाषा के रूप में ग्रहण कर पाएँगे।

उद्देश्य

- संस्कृत भाषा को ऐतिहासिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना।
- बिना रटने का सहारा लिये संस्कृत भाषा की संरचना को समझना।
- बच्चे के परिवेश के संदर्भ में संस्कृत की स्थिति की विभिन्नताओं व जटिलताओं को समझना और उनके प्रति संवेदशील होना।
- संस्कृत भाषा के भाषायी कौशलों का विकास करना – वाक्य रचना, संवाद, पठन–पाठन।
- संस्कृत में मौलिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना।
- संस्कृत भाषा–शिक्षण के लिए सहायक पाठ्य सामग्री बनाना।
- मूल्यांकन के नवीनतम तरीकों की समझ बनाना।
- अन्य भाषाओं एवं विषयों से संस्कृत की तुलना करना एवं सामंजस्य बैठाना।
- संस्कृत माध्यम से संस्कृत शिक्षण की चुनौतियों को समझना।

इकाईवार विवरण

खण्ड –1. संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय

अंक–10

(क) ऐतिहासिक संदर्भ में संस्कृत –

1.1.1 भारत में आर्य भाषा परिवारों के विकास के संदर्भ में संस्कृत की उत्पत्ति और विकास।

1.1.2 त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के स्थान की समझ।

1.2.3 संस्कृत की विभिन्न विधाओं एवं धाराओं का परिचय।

1.1.4 संस्कृत के गद्य–पद्य–चम्पू काव्यों का परिचय।

1.1.5 संस्कृत के महत्त्वपूर्ण रचनाकारों के साथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय।

(ख) वर्तमान संदर्भ में संस्कृत –

1.2.1 आधुनिक संस्कृत साहित्य की जानकारी (विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में)।

1.2.2 नैतिक व धार्मिक मूल्य के रुप में संस्कृत शिक्षण की सीमा।

1.2.3 बच्चे के परिवेश और बहुभाषिकता की समझ।

1.2.4 दैनिक जीवन में संस्कृत के बोलने और पढ़ने के अवसर व स्रोत।

खण्ड –2. संस्कृत भाषा की संरचना

अंक–15

(क) संस्कृत ध्वनियाँ, वर्ण, शब्द व वाक्य –

2.1 वर्ण परिचय

2.1.1 ध्वनि, वर्ण, का सम्बन्ध

2.1.2 वर्णमाला

2.1.3 माहेश्वर सूत्र

2.1.4 वर्णसम्मेलन व शब्दसंरचना

2.1.5 उच्चारण स्थान

2.1.6. प्रयत्न

2.1.7 अनुस्वार, विसर्ग एवं हलन्त का प्रयोग

2.2 पद परिचय

2.2.1 उपसर्ग

2.2.2 प्रत्यय

2.2.3 अव्यय

2.2.4 संधि

2.2.5 समास

2.2.6 षत्व–णत्व विधान

2.2.7 विशेष्य–विशेषण भाव

2.2.8 शब्दरूप

2.2.9 धातुरूप

2.3 वाक्य परिचय

2.3.1 लिंग

2.3.2 लकार

2.3.3 वचन

2.3.4 पुरुष

2.3.5 संस्कृत में वाक्य संरचना

2.3.6 कारक

2.3.7 वाच्य परिवर्तन

2.3.8 विराम चिह्न

2.3.9 शब्द भण्डार का विस्तार

2.3.10 संस्कृत के अंकों का ज्ञान

(ख) छंद और अंलकार

2.4. छंदों का परिचय

2.5 अंलकारों का परिचय

खण्ड –3. संस्कृत भाषा शिक्षण

अंक–15

(क) सैद्धान्तिक स्तर –

3.1 संस्कृत शिक्षण की विधियाँ

3.1.1 पारम्परिक विधियाँ

3.1.2 आधुनिक विधियाँ

3.2 संस्कृत शिक्षण के उपागम

3.2.1 संग्रन्थन–उपागम

3.2.2 निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण

3.3 वर्णपद्धति, शब्द पद्धति और पूर्णभाषा पद्धति का ज्ञान

3.4 व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया को समझना।

3.4.1. वर्ण शिक्षण

3.4.2 संहिता और संयोग

3.4.3 शब्दरूप शिक्षण

3.4.4 धातुरूप शिक्षण

3.4.5 संधि शिक्षण

3.4.6 कारक शिक्षण

3.4.7 समास शिक्षण

3.4.8 लिंग शिक्षण

3.4.9 कृत्तद्धित प्रत्यय शिक्षण

3.4.10 स्त्री प्रत्यय शिक्षण

(ख) व्यावहारिक स्तर –

3.5 बच्चों के सीखने के स्तर के अनुरूप शिक्षण।

3.6 बच्चों के लिए संस्कृत में अभिव्यक्ति के अवसरों का सृजन।

3.7 अन्य विषयों में बच्चे की अवधारणात्मक समझ का संस्कृत के साथ समन्वय।

3.8 नई और वैकल्पिक भाषा के रूप में शिक्षण एवं मूल्यांकन।

3.9 भिन्न–भिन्न समुदाय और क्षमता वाले बच्चों के संदर्भ को समझते हुए संस्कृत शिक्षण।

खण्ड–4. कक्षोपयोगी सामग्री का निर्माण

अंक–10

4.1 संस्कृत बोलने व लिखने के लिए गतिविधि की योजना बनाना।

4.1.1 संस्कृत संभाषण के लिए गतिविधियाँ।

4.1.2 संस्कृत लिखने के लिए गतिविधियाँ।

4.2 दैनिक शिक्षण योजना व समग्र शिक्षण योजना का निर्माण

4.2.1 दैनिक शिक्षण योजना

4.2.2 समग्र शिक्षण योजना

4.3 वर्तमान शिक्षण सामग्री का विश्लेषण

4.3.1 कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण

4.3.2 कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण

4.3.3 कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण

4.4 बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर योजना और सामग्री में परिवर्तन

4.5 संस्कृत के प्राचीन तथा आधुनिक 10 रचनाकारों का परिचय

खण्ड – 5 मूल्यांकन

अंक–10

5.1 मूल्यांकन की विभिन्न विधियाँ

5.2 प्रश्न पत्र निर्माण

5.3 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

5.2 शिक्षक की पढ़ने, वाचन करने एवं लिखने की दक्षता में वृद्धि

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

कुल अंक–50

बाह्य मूल्यांकन–20

आंतरिक मूल्यांकन–30

कालांश–80

परिप्रेक्ष्य

स्वास्थ्य, मानव जीवन की आधार शिला हैं। बच्चों के व्यक्तित्व एवं क्षमताओं के विकास को आकार देने में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। यह विषय एक शक्ति के रुप में बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों एवं मनोवृतियों को भी आकार देता है। बच्चों का सीखना, उनके स्वास्थ्य से काफी प्रभावित होता है विद्यालय में बच्चों का विकास उनके पोषण एवं सुनियोजित शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रमों पर निर्भर होता है। स्वास्थ्य बच्चों के समग्र विकास का सूचक होता है। यह विद्यालय में उपस्थिति, नामांकन और पढाई पूरी करने को भी प्रभावित करता है अतः एक विद्यार्थी–शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह स्वास्थ्य एंव बच्चों के सीखने व विकास के बीच संबंधों को बेहतर तरीकों से समझें।

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य चाहें वह बच्चा हो या वयस्क उसके निजी व्यवहार से उतना ही निर्धारित होता है जितना सामाजिक कारणों से उदाहरण के लिए बालिकाओं का स्वास्थ्य उनके कुपोषण एंव बीमारियों के प्रति उदासीनता के कारण बिगड जाता है कई बच्चे गरीबी व कुपोषण के कारण बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। उचित स्वास्थ्य सेवा के अभाव में बच्चों का इलाज नहीं हो पाता।दूसरी ओर कुछ बच्चे उच्च कैलोरी भोजन और न्यून शारीरिक गतिविधियों के कारण मोटापा संबंधी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। सर्वे ने सिद्ध किया है कि स्वच्छ पानी, सफाई व्यवस्था और उचित पोषण का अभाव बड़े पैमाने में बच्चों की बीमारियों के जिम्मेदार हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को न्यूनतम पोषण उपलब्ध करवाने में विद्यालयों में आयोजित मध्याह्न भोजन का विशेष योगदान है।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि यह विद्यार्थी–शिक्षक को इतना क्षमतावान और सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति एवं परिवेश के अनुरुप कक्षायी अनुभव आयोजित करें, जिससे सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर मिले साथ ही योग शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का शारीरिक,मानसिक,सामाजिक और भावात्मक विकास करें। यह पाठ्यक्रम सतत और व्यापक रूप से बच्चों का आकलन करने में भी विद्यार्थी–शिक्षक को सक्षम बनाएगा।

स्वास्थ्य शब्द को विद्यालय व बच्चों के संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जाए तो इसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। बच्चे शारीरिक तौर पर ही बीमार नहीं होते अपितु वे विद्याालय के परिवेश के कारण भी मानसिक तनाव व पीड़ा के शिकार हो सकते हैं।

इस पाठ्यक्रम द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह विद्यार्थी–शिक्षक को बच्चों में ज्ञान बढ़ाने व जीवन के कौशल सिखाने की दिशा में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा, ताकि वे किशोरावस्था में कदम रखते बच्चों के संवेगों का प्रबंधन करने एवं बढ़ती उम्र की समस्याओं से जूझने में उनकी सहायता कर सकें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इस विषय को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।

उद्देश्य

- स्वास्थ्य व खुशहाली की एक व्यापक समझ बनाना।
- बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को जानने के तरीकों की समझ बनाना व उनका उपयोग करना।
- बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों की समीक्षा कर पाना।

- विद्यालय के विभिन्न पक्षों यथा मध्याह्न भोजन, पानी का प्रबंध, शौचालय, व भौतिक परिवेश का स्वास्थ्य के परिपेक्ष्य में समालोचना कर पाना।
- परिवार और बच्चों के सन्दर्भ में बच्चों के मानसिक तनाव के पक्षों को पहचान पाना और उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना।
- बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये शारीरिक शिक्षा संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित कराना।
- बच्चों के स्वास्थ्य यथा व्यायाम, योग एवं खेल–कूद की समझ विकसित करना।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाली — अंक–5

1.1 स्वास्थ्य और खुशहाली के जैविक, सामाजिक व मानसिक पक्ष 1-10

1.2 बच्चों के स्वास्थ्य का सीखने पर प्रभाव

1.3 बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतें, पोषण, मध्यान भोजन

1.4 पोषण

1.5 मध्याह्न भोजन

1.6 कुपोषण

1.7 स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के तरीके 41-50

इकाई–2. बच्चों का स्वास्थ्य और विद्यालय — अंक–4

2.1 विद्यालय परिवेश रोशनी, स्वच्छ हवा, पानी, बाग–बगीचे

2.2 प्राथमिक उपचार

2.3 विद्यालय और मानसिक तनाव – दुर्व्यवहार, दंड, शैक्षणिक द्रबाव, बड़े बच्चों का अनुचित व्यवहार

इकाई–3. समावेशी शिक्षा — अंक–3

3.1 विद्यालय में सुविधाजनक परिवेश निर्माण की संभावनाएँ – बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएँ

3.2 शारीरिक क्षमताएँ

3.3 मानसिकता और सामाजिक जरूरतों के आधार पर विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुविधाजनक बनाने के अवसर खोजना। 31-40

3.4 समावेशी संदर्भ में खेल व व्यायाम 1-20

इकाई–4. योग एवं व्यायाम का स्वास्थ्य से संबंध — अंक–3

4.1 योग एवं स्वास्थ्य

4.2. स्वास्थ्य एवं व्यायाम

इकाई–5. विभिन्न खेल एवं शिक्षण विधियां — अंक–5

5.1 खेल–कूद एवं शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ।

5.2. उच्च प्राथमिक स्तर पर खेल ऐथेलेटिक्स एवं जिमनाटिक्स की सामान्य जानकारी। 21-30

वैकल्पिक विषय

सामाजिक विज्ञान शिक्षण

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–40

बाह्य मूल्यांकन–60

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

सामाजिक विज्ञान शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू होता है और दसवीं तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह विषय अन्य विषयों से भिन्न है क्योंकि इसके माध्यम से हम न केवल समाज का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना भी करते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान विषय में वर्तमान समाज की समालोचना तथा एक नई व्यवस्था तक पहुँचने का मार्ग निर्धारित करना निहित है। चूँकि यह विषय भावी समाज की कल्पना से जुड़ा है इसलिए इसके शिक्षण में विभिन्न तरह के हस्तक्षेप होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक इन हस्तक्षेपों को समझने तथा शिक्षण में सामाजिक अध्ययन की भूमिका को निर्धारित करने में सक्षम बनेंगे।

इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक सामाजिक विज्ञान विषय की विशेषताओं से परिचित होते हुए इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित विषयों के अध्ययन के विशिष्ट स्वरूपों का भी परिचय पाएँगे।

विद्यालयी स्तर पर सामाजिक विज्ञान के तहत क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए इस पर काफी अध्ययन और चर्चाएँ हुई हैं, जिनसे विद्यार्थी–शिक्षक को परिचित होना है। बच्चों को सामाजिक विज्ञान सिखाने के क्या अनुभव रहे हैं और इनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? यह भी अध्ययन का विषय है।

विद्यार्थी–शिक्षकों से यह भी अपेक्षा है कि वे सामाजिक अध्ययन की कुछ प्रमुख अवधारणाओं की तैयारी, पाठ्यपुस्तकों एवं संदर्भ सामग्री की मदद से करें, ताकि वे इन पुस्तकों से तथा अवधारणाओं से भलि–भाँति अवगत हो सकें।

सामाजिक विज्ञान में बच्चों का मूल्यांकन बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि बच्चे अपने अनुभव, विचार और आदर्श पेश करें, न कि केवल पाठ की मुख्य बातों को दोहराएँ। ऐसे में मूल्यांकन के मापदण्ड क्या हों और मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी हो। इस पर विमर्श भी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

उद्देश्य

- सामाजिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रकृति को समझना।
- इतिहास, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन के विशिष्ट स्वरूपों को समझना।
- सामाजिक विज्ञान में निहित पद्धति तथा अनेक दृष्टिकोणों को समझकर उनके प्रति संवेदनशील बनना।
- सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की तुलनात्मक समीक्षा कर पाना (राष्ट्र निर्माण, सामाजिक पुनर्रचना, समालोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास आदि)
- सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को सीखने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।
- यह समझना कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विभिन्न सामाजिक परिवेश के बच्चों की उपस्थिति का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए।

- सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया–उसमें पाठ्य पुस्तक समीक्षा तथा शिक्षक की भूमिका पर समझ बनाना।
- सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बच्चों के अनुभव एवं दृष्टिकोण तथा उनकी भूमिका को समझना।
- सामाजिक विज्ञान की मुख्य अवधारणाएँ एवं उन पर आधारित शिक्षण–अधिगम पाठ योजना बनाना। (इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान)
- सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन और उसकी विधियों पर समझ बनाना।

इकाई विवरण

इकाई–1. कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय — अंक–6

1.1 समाज के बारे में हमारे प्रमुख सवाल क्या हैं?

1.2 क्या समाज से सम्बन्धित प्रश्नों का एक सर्वमान्य उत्तर हो सकता है?क्या सर्वमान्य उत्तर के अभाव में इसका अध्ययन सार्थक हैं?

1.3 क्या समाज का अध्ययन वैज्ञानिक हो सकता है?

1.4 सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता

1.5 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं विधियाँ।

इकाई–2. सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — अंक–8

2.1 समाज विज्ञानों का उद्भव एवं विकास -31-40

2.2 प्रारंभिक विषय व समझ के ढाँचे (मार्क्स, वेबर और दुर्खीम)।

2.3 सामाजिक आदर्शों एवं दृष्टिकोणों की बहुलता और उसके प्रभाव।

2.4 विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण।

इकाई–3. सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या निर्धारण एवं शिक्षण — अंक–6

3.1 प्रो. यशपाल समिति एवं अन्य शिक्षा सुधार समितियों की सिफारिशें (सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में) /- 1-

3.2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्ररिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान विषय की पुनर्रचना।

3.3 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान आधारित परियोजना।

3.4 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला और उसकी उपादेयता।

3.5 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौशल विकास एवं गतिविधियाँ।

3.6 विषयवस्तु का चयन और पाठ्यचर्या की समीक्षा ।

इकाई–4 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ — अंक–8

4.1 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ (जेण्डर, धर्म, जाति, वर्ग)

4.2 जेंडर, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर विविध सामाजिक अनुभव।

4.3 बच्चों में अमूर्त चिन्तन का विकास और सामाजीकरण।

4.4 सामाजिक सरोकार और सामुदायिक सहभागिता।

अंक-6

इकाई-5. इतिहास का स्वरूप

— 11-20

5.1 भारत में इतिहास अध्ययन का स्वरूप (पूर्व औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, अधीनस्थ समूहवादी (सब-आल्टर्न) अध्ययन आदि)

5.2 स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक इतिहास का क्षेत्र।

5.3 इतिहास लेखन में साक्ष्यों का महत्त्व।

अंक-8

इकाई-6. भूगोल का स्वरुप

6.1 भूगोल में कार्य-कारण,समय स्थान एवं घटना का प्रभाव।

6.2 यूरोप में औपनिवेशीकरण, औद्योगीकरण और भूगोल अध्ययन का प्रारंभ / शुरूआत

6.3 भूगोल में निश्चयवाद तथा उसकी समालोचना।

6.4 वर्तमान में भूगोल विषय की पुनर्रचना। — 31-30

अंक-8

इकाई-7. सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन

7.1 औपनिवेशिक शिक्षण में नागरिक शास्त्र।

7.2 लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना।

7.3 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का शिक्षण

7.4 सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्ययन में यथार्थ की समालोचना और आदर्शवाद। — 41-50

अंक-10

इकाई-8. सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण एवं मूल्यांकन

8.1 स्वचयनित अध्यायों की संकल्पना मानचित्रण (Concept mapping), समीक्षा और उनकी गतिविधियों का क्रियान्वयन।

8.2 शिक्षण कौशल आधारित दैनिक शिक्षण योजना का निर्माण।

8.3. पाठ हेतु सहायक सामग्री की खोज करना। (पुस्तकें, बेब साइट्स, चार्ट, मॉडल चित्र, न्यूज पेपर कटिंगस इत्यादि)

8.4 मूल्यांकन विधियाँ (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में)

विज्ञान शिक्षण

कुल अंक–100
आंतरिक मूल्यांकन–40 अंक
बाह्य मूल्यांकन–60 अंक
कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

विज्ञान विषय डी.एल.एड पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाने वाला एक वैकल्पिक विषय है। इस पाठ्यक्रम से अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षक विज्ञान शिक्षण से जुडे समस्त मुद्दों, जैसे–विज्ञान विषय की प्रकृति, उसका दायरा, समाज और विज्ञान का अंतर्संबन्ध, अन्य विषयों से उसकी समानताएँ और उनमें अंतर, विज्ञान की दुनिया में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्ता आदि से तो परिचित होंगे ही, विज्ञान पढ़ाने में आवश्यक अवधारणाओं और कौशल को भी प्राप्त करेंगे।

इस पाठ्यक्रम को विकसित करते समय शिक्षाशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों और उससे जुड़ी चर्चाओं से सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा गया है। इस बारे में विभिन्न दस्तावेजों; जैसे यशपाल समिति की रिपोर्ट–1993, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 आदि में उल्लेखित विद्यार्थी–शिक्षकों में स्व अधिगम की आदत और स्वतंत्र चिंतन का विकास, कक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी, बच्चों के सवालों और उनके अनुभवों के प्रति सहानुभूति, उनके सीखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश और लगातार नया सीखने का नजरिया महत्त्वपूर्ण हैं। इसे इसके लिए उन्हें इस पाठ्यक्रम में पर्याप्त अवसर दिए गए है।

यह पाठ्यक्रम विज्ञान शिक्षक की कक्षा में भूमिका को थोड़ा अलग तरह से देखने की कोशिश करता है। वे विज्ञान शिक्षक जो अभी तक विज्ञान में 'स्थापित ज्ञान' को कक्षा में बच्चों को बताते आ रहे थे, उन्हें अब बच्चों के साथ मिलकर उनके प्रश्नों के जवाब ढूँढने की ओर बढ़ना है और बीच–बीच में बच्चों को सम्बन्धित अवधारणाओं से भी परिचित कराना है। जहाँ तक संभव हो इस काम में प्रयोग, गतिविधियाँ, चर्चाएँ, इतिहास के कुछ उदाहरण आदि का सहारा लेना है और मात्र परिभाषाओं, सूत्रों, समीकरणों आदि में सिमट कर नहीं रह जाना है।

पाठ्यक्रम शिक्षण के दौरान विद्यार्थी–शिक्षकों को अपनी समझ को पुनः जाँच कर देखना होगा, कई प्रयोग करके देखने होंगे और एक या अधिक खोज–आधारित परियोजनाएँ भी स्वयं या समूह में पूरी करनी होंगी। ऐसा करने में शिक्षक स्वयं यह सब करने में सक्षम होंगे, तभी वे इन सब चीज़ों को कक्षा में करवा सकेंगे।

उद्देश्य

- विज्ञान विषय का दायरा, उसकी अन्य विषयों से समानता एवं अंतर तथा उसकी प्रकृति के बारे में समझ बनाना।
- विज्ञान विषय में ज्ञान निर्माण के विभिन्न तरीकों की समझ बनाना।
- समाज और विज्ञान के अंतर्संबंधों को समझना एवं रोजमर्रा की जिन्दगी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकाश करना।
- विज्ञान सीखने में आवश्यक कौशल, जैसे–अवलोकन, मापन, समूह बनाना, वर्गीकरण, ग्राफ बनाना, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण आदि को समझना।
- विषयवस्तु सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाओं पर स्वयं की समझ का पुनरावलोकन और विभिन्न चुनौतियों के आधार पर परख समझना।

- विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षण–अधिगम योजना के प्रारूप की समझ बनाना।
- विज्ञान में किस बात का मूल्यांकन करना है और कैसे करना है, इस पर समझ बनाना।

इकाई-1. विज्ञान की प्रकृति

अंक-09

1.1 प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि में कार्य–कारण सम्बन्ध

1.2 विज्ञान की परिवर्तनशील अवधारणाएँ

1.3 मिथ्याकरण/झुठलाना (Falsification), वैज्ञानिक सिद्धांतों की वैधता

1.4 वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण से पैटर्न खोजना तथा इससे नियम तक पहुँचना

1.5 वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियाँ

1.6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता 1-10

इकाई-2. विज्ञान के शिक्षाशास्त्र संबंधी मुद्दे

अंक-09

2.1 विज्ञान का शिक्षाशास्त्र 1-10

2.2 विज्ञान के शिक्षाशास्त्र की अन्य विषयों के शिक्षाशास्त्र से तुलना

2.3 भारतीय संदर्भ में विज्ञान शिक्षण का इतिहास 11-20

2.4 बच्चों के पूर्व ज्ञान की पहचान करके नवीन ज्ञान से जोड़ना

2.5 नवीन ज्ञान से जोड़ने के विभिन्न तरीके

2.6 विज्ञान शिक्षण की तैयारी से सम्बन्धित अन्य मुद्दे – संसाधन, रुचि, प्रेरणा, समय–प्रबंधन, सकारात्मक सोच, शिक्षक की भूमिका

इकाई-3. विज्ञान और समाज

अंक-06

3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी – दैनिक जीवन में प्रभाव 11-20

3.2 समाज का विज्ञान पर प्रभाव

3.3 विज्ञान और जेण्डर 31-40

3.4 विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की भूमिका 21-30

3.5 रोजमर्रा के फैसलों में विज्ञान की भूमिका 31-40

3.6 समस्याओं के तार्किक विश्लेषण में विज्ञान का प्रयोग

इकाई-4. पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें

अंक-09

4.1 पाठ्यचर्या में विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य 41-50

4.2 पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सम्बन्ध

4.3 उच्च प्राथमिक कक्षाओं की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा 41-50 – पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की दृष्टि से समीक्षा, बच्चों की कक्षा के स्तर के आधार पर समीक्षा, विषयवस्तु की वैधता के आधार पर समीक्षा, जेण्डर संवेदनशीलता के आधार पर समीक्षा

4.4 विज्ञान शिक्षण विधियाँ

इकाई-5. विज्ञान की विषयवस्तु

अंक-18

5.1 वैज्ञानिक कौशल – वर्गीकरण, सामान्यीकरण, मापन, ग्राफ बनाना, पृथक्करण, स्लाइड निर्माण, आंकडों का प्रबंधन, प्रायोगिक कौशल

5.2 विज्ञान की अवधारणाओं का सुदृढ़ीकरण 21-30

5.3 हमारे चारों ओर के परिवर्तन – भौतिक एवं रासायनिक

5.4 अम्ल, क्षारक और लवण

5.5 धातु और अधातु

5.6 पौधों को जानिएँ

5.7 कोशिका संरचना

5.8 जन्तुओं में पोषण

5.9 गति

5.10 प्रकाश

5.11 विद्युत धारा

इकाई-6. मूल्यांकन

अंक-09

6.1 मूल्यांकन के उद्देश्य

6.2 विज्ञान में सीखने के सूचक

6.3 कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति

6.4 विभिन्न गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन

कार्य शिक्षा

परिप्रेक्ष्य

"आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वह शिक्षा से जुड़ी कोई मामूली बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया–पढ़ाया जाए वह हस्तकारों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। आप तर्क कर सकते हैं कि हमारे देश में मध्यकाल में भी बच्चे कला व्यवसाय ही सीखते थे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ लेकिन पूरी शिक्षा उस समय भी हस्तकारों के माध्यम से नहीं दी जाती थी। उस समय व्यवसाय की शिक्षा व्यवसाय करते हुए ही दी जाती थी। हमारा उद्देश्य है की व्यवसाय और हस्तकारी के साथ साथ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ व्यवसाय और हस्तकारी सिखाने की जगह बच्चों की पूरी शिक्षा ही उसके माध्यम से दी जानी चाहिए।"

– महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी के विचारों की रोशनी में अगर वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को टटोलें तो पाएँगे कि शैक्षिक पाठ्यचर्या में हुनर को सबसे कम प्राथमिकता मिली है, सामाजिक, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक और सम्बन्धों की कला; जैसे : तर्कक्षमता, संवाद क्षमता, संगठन क्षमता, नेतृत्व कौशल जिनमें रचनात्मक, अन्तः प्रेरणा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टि भी शामिल है। यह सब व्यवहारिक रूप में शैक्षिक पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं बन पाए है और इसका पूरा प्रभाव बच्चों के उपलब्धि स्तर में देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए की वे कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय की अन्य गतिविधियों में इन्हें प्रयोग में ला सकें। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यार्थी–शिक्षकों को कार्य शिक्षा का इस तरह से अभ्यास करवाया जाये कि वें हुनर और ज्ञान दोनों को जोड़कर बच्चों में बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का कौशल अर्जित कर सकें।

प्रारम्भिक शिक्षण कार्यक्रम कार्य शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों को सूचनाओं और जानकारियों के सम्प्रेषक के रूप में नहीं देखता अपितु शिक्षकों से अपेक्षा करता हैं कि वे विद्यालयी पाठ्यक्रम में कार्य शिक्षा को शौकिया या मात्र मनोरंजनात्मक गतिविधि के रूप में नहीं बल्कि विशिष्टिता प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ाए जाने की जरूरत को पहचान सकें। कार्य शिक्षा की प्रस्तुत पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों में इस तरह का दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहती है कि वे 'कार्य' को एक अलग विषय को पढ़ाने के रूप में न देखे, बल्कि इसे भाषा, सामाजिक व पर्यावरण अध्ययन, कला, गणित जैसे विषयों के अध्ययनों का हिस्सा बनाने की क्षमता विकसित करें। वे कार्य को एक यांत्रिक व मात्र शारीरिक श्रम से जुड़ी गतिविधि न समझें बल्कि कार्य को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनायें। प्रस्तुत पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षक की तैयारी को कुछ इस दृष्टि से देखती है कि वे यह समझ पैदा करें कि अपने हाथों, वस्तुओं और तकनीकों से काम करना घटनाओं को समझने और समस्याओ के समाधान दोनों ही दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसलिए कक्षायी शिक्षण में इन तीनों प्रक्रियाओं को जोड़ने का कौशल उन्हें अर्जित करना होगा। वे बच्चों के लिए ऐसे ज्ञान प्राप्ति की जरूरत को समझें जो बच्चों को अपनी सामाजिक परम्पराओं से विमुख न करें और सामाजिक बदलाव की शक्ति बनाएँ। कार्य शिक्षा की पाठ्यचर्या इस तथ्य को स्वीकार करने की समझ पैदा करने की और संकेत करती है कि केवल बौद्धिक प्रशिक्षण सामान्यतः बच्चे को व्यक्तिवादी बनाता है पर जब विद्यालयी गतिविधियाँ कार्य से जुड़ जायेगी तो बच्चों को उन सबके सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा जिनके साथ उन्हें रहना है, व्यवहार करना हैं। इस तरह से बच्चे सामुदायिक जीवन की महत्ता को समझ सकेंगे। कार्यशिक्षा की इस पाठ्यचर्या का लक्ष्य यह भी रहेगा की विद्यार्थी–शिक्षक की तैयारी कुछ इस प्रकार से हो की वे कार्य को स्कूल और समाज के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के बच्चों के लिए तथा स्वयं के लिए भावनात्मक, आर्थिक एवं बौद्धिक सशक्तीकरण के मजबूत माध्यम के रूप में देख सकें। पाठ्यचर्या का बल इस बात पर रहेगा की विद्यार्थी–शिक्षक कार्य शिक्षा को बच्चों द्वारा 'उत्पाद' निर्माण की प्रक्रिया के रूप में न देखे अपितु इसके वास्तविक स्वरूप की समझ हासिल करें। कार्यशिक्षा उद्देश्य पूर्ण शारीरिक कार्य है, जो समुदाय के लिए उपयोगी, सेवा और उत्पादक कार्यों के रूप में परिलक्षित होता है। कक्षा में बच्चों द्वारा तरह–तरह की सजावटी सामग्री बना देना कार्य शिक्षा नहीं है, इस

तथ्य से परिचित करवाना नितान्त आवश्यक होगा। यदि पाठ्यचर्या इस तरह की समझ विकसित करने का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो विद्यार्थी–शिक्षक स्वतः बच्चों को करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन करने में सक्षम हो सकेंगे और कार्य का इस्तेमाल समूची शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में कर सकेंगे। पाठ्यचर्या के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षकों को यह संकेत मिलना भी जरूरी है कार्य और शिक्षा का क्या सम्बन्ध है तथा विद्यालयी शिक्षा के कार्य बाल श्रम से किस प्रकार भिन्न है। कार्य शिक्षा के संदर्भ में स्कूलों की क्या तैयारी होनी चाहिए इस बात की समझ विकसित करना भी जरूरी है।

कार्य शिक्षा के उद्देश्य एवं विद्यार्थी-शिक्षकों से अपेक्षाएँ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा के लिए कार्य शिक्षा के जिस स्वरूप की अनुशंसा करती है उसके अनुसार प्रस्तुत पाठ्यचर्या इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी–शिक्षक वर्तमान विद्यालयी शिक्षा में स्थापित हो चुके कार्य के नकारात्मक स्वरूप को चुनौती दे सके। इसकी जड़ता को समाप्त करने के लिए रोचक गतिविधियों की खोज कर सके। अभिभावकों में इस विषय के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के तरीकों को खोजने व क्रियान्वित करने के कौशल विकसित कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यशिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- विद्यार्थी–शिक्षकों में विद्यालयी शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं स्वरूप के प्रति समझ विकसित करना।
- प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यचर्या विषयों; जैसे–भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला एवं स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणाओं को समझाने की प्रक्रिया में कार्य को जोड़ने की क्षमता का विकास करना।
- विद्यालय में कार्य शिक्षा के लिए अनुकूल परिवेश उत्पन्न करने व उसे बनाये रखने का कौशल विकसित करना।
- श्रमजीवियों, शिल्पियों और दस्तकारों की क्षमताओं व जरूरतों के प्रति समझ उत्पन्न करना तथा शिक्षक बनने पर उन्हें विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रियाओं से जोड़ने की सम्भावनाओं पर विचार करने के अवसर देना।
- कार्य में निहित तार्किक गुणों, लैंगिक, भाषिक व सामाजिक सरोकारों के प्रति समझ विकसित करना।
- कार्य जगत से परिचित करने के मौलिक तरीके खोजने की क्षमता का विकास करना।
- बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं मानसिक विकास को समझने के लिए कार्य को उपकरण के रूप में प्रयुक्त करना।
- अपने विद्यालय के लिए कार्य शिक्षा की सावधिक योजनाएँ तैयार करने का कौशल विकसित करना जिसमें अर्थ और उन्हें दूर करने में अपनी प्रतिभागिता समझना।
- कुछ इस तरह के वार्षिक मेलों के आयोजन करने का कौशल विकसित करना जिनमें बच्चों के काम तथा स्थानीय कलाओं को प्रदर्शित किया जा सकें।
- परिवेश में चल रही उत्पादक गतिविधियों तथा कार्यों से जुड़ी शब्दावली व मुहावरों की पहचान करने के अवसर देना व उन्हें भाषा शिक्षण से जोड़ने के कौशल विकसित करना।
- कार्य शिक्षा के संदर्भ में बच्चों का आकलन व मूल्यांकन करने की समझ विकसित करना, मूल्यांकन सम्बन्धी रिकार्ड बनाने तथा उन्हें अभिभावकों व अगली कक्षा के शिक्षकों को सम्प्रेषित करने के तरीकों से परिचित करवाना।

अनिवार्य कार्यकलापों की प्रस्तावित सूची

क्र.स.	गतिविधि का नाम	प्रकृति	क्रियान्वयन	विषय
1.	कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर की सफाई	परिवेश के प्रति सजगता	सामूहिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
2.	परिवेश में पाई जाने वाली वनस्पति की पहचान, क्यारी तैयार करना	परिवेश के प्रति सजगता	एकल रूप से एवं सामूहिक रूप से	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
3.	पौधारोपण	परिवेश के प्रति सजगता	एकल	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
4.	डेयरी/मुर्गी पालन/पशु पालन केन्द्रों का भ्रमण	सामुदायिक सेवा एवं परिवेश के प्रति सजगता	सामूहिक	विज्ञान शिक्षण
5.	घरेलू बजट तैयार करना	उत्तरदायित्व की भावना, तार्किक सोच	एकल	गणित शिक्षण
6.	श्रमजीवी से साक्षात्कार– (वृद्धाश्रम/अनाथ श्रम संस्थान में), किसी पर्व परसांस्कृतिक आयोजन	श्रम का महत्त्व बोध एवं संवेदनशीलता	एकल एवं सामूहिक रूप से	भाषा शिक्षण
7.	पल्स पोलियों केन्द्र के लिए कार्य	श्रम का महत्त्व बोध संवेदनशीलता	दो–दो के समूह में	स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आँगनवाड़ी का भ्रमण व वैयक्तिक अध्ययन करना	सामुदायिक सेवा	सामूहिक रूप से इन केन्द्रों पर आने वाले अभिभावकों से संवाद भी करवाया जाए	विज्ञान शिक्षण
9.	स्थानीय कला एवं उत्पादक कार्यकलापों की सूची तैयार करना, किसी एक हुनर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का पता लगाना	ऐतिहासिक गरिमा का बोध, सामुदायिक सेवा	एकल	प्रायोजना कार्य

ऐच्छिक कार्यकलापों की प्रस्तावित सूची

क्र.स.	कार्यकलाप का नाम	प्रकृति	विषय के साथ समन्वयन एवं क्रियान्वयन
1.	मिट्टी का कार्य (खिलौने, मनके बनाना) 1-10	सृजनात्मक बोध	गणित, कला शिक्षा
2.	सिलाई का कार्य (बटन टांकना, तुरपाई) 11-20	रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कार्य	कला शिक्षा
3.	कशीदाकारी कढ़ाई के सरल–टांके लगाना 41-50	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा
4.	मुखौटे बनाना	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा
5.	जिल्दसाजी	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा
6.	स्थानीय लोकगीतों व लोक कथाओं का संकलन 21-30	उत्पादक गतिविधि सांस्कृतिक विरासत का	सामूहिक रूप से – हिन्दी भाषा शिक्षण
7.	स्थानीय कलाओं और कार्यजगत से जुड़ी तकनीकी शब्दावली का संग्रह	संस्कृति का महत्त्व, शब्द संपदा में वृद्धि	दो–दो समूह में पर्यावरण अध्ययन व भाषा शिक्षण
8.	फ्यूज लगाना	रोजमर्रा के काम	एकल पर्यावरण अध्ययन
9.	प्रसाधन सामग्री तैयार करना, साबुन, फेस पैक	रोजमर्रा के काम	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
10.	जल संचयन	परिवेशीय सजगता	सामूहिक सभी विषयों में
11.	श्यामपट्ट की पुताई	स्वच्छता से जुड़े कार्य	सभी विषय
12.	बन्दनवार बनाना, माला पिरोना 31-40	सृजनात्मक	कला शिक्षा

उपर्युक्त सूची प्रस्तावित है निर्धारित नहीं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार और भी कार्यकलाप जोड़े जा सकते हैं। कार्य कलापों का चयन समय दक्षता के विकास के साथ–साथ सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना जरूरी हैं, टोकरी बनाना, बाँधनी, पेपरमेशी, मोमबत्ती, चॉक बनाना, दरी बुनना जैसे काम भी सूची में जोड़े जा सकते हैं, इन कार्यों से विद्यार्थी–शिक्षकों को जोड़ने का तात्पर्य यह नहीं ही वे इसमें निपुणता हासिल कर लें, आवश्यक यह है कि उनमें सीखने की प्रक्रिया से जुड़ने के प्रति ललक पैदा करें। साथ ही उनमें कार्य में निहित सिद्धांतों को कक्षा शिक्षण से जोड़ने का कौशल विकसित करें।

इस विषय की पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों से यह अपेक्षा करती है की जब वे विद्यार्थी–शिक्षकों के लिए कार्यकलापो का आयोजन एवं क्रियान्वयन करें तो उनकी युक्तियों व रणनीतियों के आधार पर विद्यार्थी–शिक्षक जहाँ एक ओर आयोजन संबंधी कौशल अर्जित करें वहीं दूसरी ओर आयोजन व क्रियान्वयन से जुड़े भावात्मक पक्ष की बारीकियों को भी समझे और शिक्षक बनने पर उनका निर्वहन करें। भावात्मक पक्ष इस प्रकार है –

कार्यकलापों का चयन करते समय बच्चों की रुचि के साथ साथ उनकी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की समझ विकसित हो।

- कार्यकलापों के चयन में लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहने की क्षमता उत्पन्न हो।
- कार्यकलापों के क्रियान्वयन में चुनौतीपूर्ण बच्चों के लिए 'स्पेस' निर्मित करने व उनकी सम्भावनाओं को पहचानने की समझ उत्पन्न हो।
- कार्यकलापों के चयन व क्रियान्वयन में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के समझ उत्पन्न हो। उदाहरण के तौर पर यदि 'बंधेज' करवाने का निर्णय लिया है तो स्वयं से प्रश्न किए जाने की क्षमता हो की इस गतिविधि में जिन रंगों का उपयोग किया जायेगा वे रासायनिक होंगे या फिर प्राकृतिक? रासायनिक रंगों से पर्यावरण को क्या–क्या खतरें हो सकते हैं ? कौन–कौन से रंग व कौनसी तकनीक अपनाई जाएँ जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती हो ?

किसी भी विषय की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम संस्थान विशेष से कुछ बुनियादी सुविधाओं की मांग करता है जिससे कि उसके एवं क्रियान्वयन को सुगम बनाया जा सके। कार्य शिक्षा की पाठ्यचर्या के संदर्भ में यह बात और भी महत्त्वपूर्ण है। गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संस्थान में विशेष प्रावधान जुटाएँ जाने चाहिए।

- संकाय सदस्य / प्रशिक्षक जो 'कार्य शिक्षा' की अवधारणा को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भली–भाँति प्रभावशाली ढंग से समावेश कर सके।
- प्रयोग शाला एवं आवश्यक औजार / उपकरण
- मौलिक जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित दस्तकारों, शिल्पकारों और श्रमजीवियों के नाम, पते, व सम्पर्क सूची
- दस्तकारी से जुड़े संस्थानों की क्षेत्रवार सूची
- विभिन्न प्रकार की तकनीकों, दक्षताओं और कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका
- भण्डार गृह जिसमें उपकरणों के अतिरिक्त कच्चा माल भी हो। कच्चे माल का चयन कुछ इस तरह से हो की उनसे प्राकृतिक संसाधनों के हनन की सम्भावना कम से कम हो अथवा बिलकुल भी न हो, ।
- रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने वाले अनोखे शिल्प कौशल और तकनीक, डिजाइन और कार्यों की सूची, इस सूची को अद्यतन करते रहने की जिज्ञासा एवं प्रयास
- विद्यालयों में कार्य शिक्षा को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का मनोभाव
- ठोस आकलन एवं मूल्यांकन नीति।

विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड

इस विषय की पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों से गतिविधियों में शत्–प्रतिशत सहभागिता की तो अपेक्षा करती ही है, साथ ही उन गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित रिकॉर्ड रखने व प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करती है।

लिखित रिकार्ड में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी –

- किए गए कार्यकलाप के उद्देश्य, निहित सामग्री का वर्णन, पाठ्यचर्या विषयों से जुड़ाव।

- सीखे गये कौशलों का विशेष उदाहरण देकर शिक्षाशास्त्र में प्रयोग करने की सम्भावनाएँ।
- समालोचनात्मक विश्लेषण

प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यकलापों; जैसे– कक्षा कक्ष या विद्यालय परिसर की सफाई का रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं हैं।

रिकॉर्ड (लिखित) के संदर्भ में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी आवश्यक है कि विद्यार्थी–शिक्षक इन रिकॉड्स की विषयवस्तु पर अधिक ध्यान न देकर उसकी साज–सज्जा व प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देते हैं, साज–सज्जा के लिए वे बाजार से खरीदी गई सामग्री; जैसे– रिबन, शीशे, सलमे–सितारे, रंगीन टेप आदि का प्रयोग करते हैं। यह एक ओर तो अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ का कारण बनती है वहीं दूसरी ओर इस तरह की सामग्री का प्रयोग पर्यावरण के लिए भी नुकसान देय है। प्रशिक्षण के दौरान उनमें यह भाव अवश्य विकसित हो की बाह्य साज–सज्जा के अपेक्षा विषयवस्तु लेखन शैली अधिक महत्त्वपूर्ण है।

आपदा प्रबन्ध

इस विषय का अध्ययन अन्य विषयों एवं संस्थागत गतिविधियों के माध्यम से कराया जाएगा।

"कभी किसी को खतरे से पीठ नहीं फेरनी चाहिए और डरकर नहीं भागना चाहिए। ऐसा करके आप खतरे को दुगुना कर देते हैं। यदि आप बेझिझक इसका तुरन्त मुकाबला करते हैं तो आप खतरे को आधा कर देंगे।"

–सर विंस्टन चर्चिल

परिप्रेक्ष्य

आपदा एक प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जनहानि होती है। इसके साथ–साथ आजीविका और सम्पत्ति की भी हानि होती है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को लम्बे समय तक दुःख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपनी विशाल जनसंख्या और अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत विश्व में सर्वाधिक आपदा आशंका वाले देशों में से एक है।

भारत में 65 प्रतिशत से अधिक भू भाग भूकम्प के खतरे वाला है तथा 12 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़, 8 प्रतिशत क्षेत्र में चक्रवात तथा 70 प्रतिशत कृषि योग्य भू क्षेत्र में सूखा पड़ने के खतरे की सम्भावना रहती है। विगत वर्षों में देश के लगभग सभी भागों में महाविनाशकारी घटनाएँ घटित हुई हैं। सन् 1999 में उड़ीसा में आए भयावह चक्रवात ने जन–धन की हानि की। 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें कई लोगों के अलावा 971 विद्यार्थी एवं 31 शिक्षक मारे गए। 26 दिसम्बर, 2004 को हिंद महासागर में प्रलयकारी भूकम्प के कारण उत्पन्न सुनामी लहरों ने भारत सहित दक्षिण–पूर्व एशिया के कम से कम बारह देशों में तबाही मचाई । भारत के तमिलनाडु में इस सुनामी से 8000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई।

अतः ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एक जागरूक विद्यार्थी एवं नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आपदाओं की जानकारी एवं उनसे निपटने के उपायों की जानकारी हासिल करें।

आपदा प्रबंध का अर्थ

वे क्रियाएँ जिनके द्वारा आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। वे क्रियाएँ आपदा प्रबन्ध कहलाती हैं।

उद्देश्य

डी. एल. एड. पाठ्यचर्या में इस विषय को सम्मिलित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- आपदा प्रबंध के संबंध में विद्यार्थी–शिक्षकों में अवबोध एवं कौशल विकसित करना।
- आपदा प्रबंध के प्रति जनसमुदाय में जागृति एवं समझ उत्पन्न करना।
- आपदा से होने वाली संभावित हानि को कम करना।
- आपदा घटित होने के पश्चात् राहत एवं बचाव कार्य करना।

आपदा संबंधी सामान्य जानकारी

आपदा एक ऐसी भयानक दुर्घटना है जिसका दुःख व कष्ट लम्बे समय तक व्यापक रूप में रहता है। आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं– प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित।

प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ

1. भूकम्प
2. बाढ़
3. सूखा
4. भूस्खलन
5. आग
6. ज्वालामुखी
7. बादल फटना
8. तूफान एवं चक्रवात
9. सुनामी

प्रमुख मानव निर्मित आपदाएँ

1. युद्ध
2. दंगा
3. यातायात साधनों संबंधी दुर्घटनाएँ
4. आग
5. औद्योगिक दुर्घटनाएँ
6. नाभिकीय दुर्घटनाएँ

उपर्युक्त आपदाओं की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है।

1. **भूकंप** – भूकंप पृथ्वी के आंतरिक असन्तुलन से उत्पन्न होता है। सामान्यतः भूगर्भित चट्टानों की हलचल से उठने वाले लहरदार कम्पन को भूकंप कहते हैं।

   भूकंप के कारण मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर मकान धराशायी हो जाते हैं और जन–धन की अधिक क्षति होती है।

भूकंप आने पर क्या करें-

- शांत रहें, घबराएँ नहीं।
- दरवाजों, खिड़कियों से दूर रहें। हो सकें तो मजबूत मेज, पलंग के नीचे घुस जाएँ।
- कमरे के कोने में बैठ जाएँ तथा अपना सिर तकिया, कंबल इत्यादि से ढक लें।
- भूकंप के दौरान बाहर न निकलें, सुरक्षित होने पर ही बाहर निकलें। दीवारों पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें।
- यदि वाहन चला रहे हों तो वाहन को बड़े भवन, पेड़ इत्यादि से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खडे हों।

2. **बाढ़** – यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती हैं और पानी खेतों और बस्तियों में घुस जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी–कभी बड़े बाँध, नहर या तालाब के टूटने से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जन–धन की भारी हानि होती है।

3. **सूखा** – जल या वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित उपक्रमों पर पड़ता है। सिंचाई आयोग के अनुसार "सूखा वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो।"

4. **भूस्खलन** – जब किसी ऊँचाई या ढाल से नीचे की ओर मिट्टी या कोई भूभाग सरकता है तो इस घटना को 'भूस्खलन' कहते हैं। इसमें मकानों के दबने से जन–धन की हानि होती है।

सन् 1980 में नैनीताल में हुए भूस्खलन से शहर का एक भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया था।

5. **आग** – वर्तमान में आग जनित दुर्घटनाएँ हमारी व्यापक चिंता का कारण हैं। ये दुर्घटनाएँ प्रायः इतनी विनाशकारी होती हैं कि इनके कारण जान–माल की व्यापक क्षति होती हैं। महानगरों में विशाल इमारतों एवं फैक्ट्रियों में होने वाली आग से जन–धन की भारी हानि होती है। जंगल की आग से भारी मात्रा में पेड़–पौधे व वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। यह जैव़विविधता के लिए भारी खतरा है।

वर्तमान में बिजली के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग न करना या शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना आग दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गया है।

आग जनित दुर्घटनाओं से बचने के उपाय –

- घर के भीतर पेट्रोल जैसे अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ न रखें।
- घर से बाहर जाने पर रसोई गैस, बिजली उपकरणों को ठीक से बंद करके जाना चाहिए।
- बिजली के एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाएँ।
- घर, कार्यालय, कारखानों में अग्निशामक यंत्र रखें तथा सभी व्यक्तियों को इनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित करें।

6. **ज्वालामुखी फटना** – ज्वालामुखी एक प्रकार की पर्वतीय सरंचना होती है जिनमें समय–समय पर विस्फोट होता रहता है तथा भारी मात्रा में राख, लावा, इत्यादि निकलता है। अति तप्त लावा (पिघली हुई चट्टानें) बहकर आबादी क्षेत्रों में भारी क्षति पहुँचाता है।

7. **बादल फटना** – बादलों से वर्षा होती है। वायुमण्डलीय परिस्थितियों के कारण कभी–कभी बादलों से यह जल भारी मात्रा में एक साथ एक ही क्षेत्र पर गिरती है जिससे भारी मात्रा में जन–धन की हानि होती है, जैसा विगत समय मे लद्दाख क्षेत्र में हुआ।

प्रमुख मानवनिर्मित आपदाएँ :–

1. युद्ध – वर्तमान समय में मानव निर्मित आपदाओं में से युद्ध एक प्रमुख आपदा है। आज विश्व के सभी क्षेत्रों में हथियारों में वृद्धि करने की होड़ लगी है। युद्ध के समय परंपरागत हथियारों के साथ साथ नाभिकीय आयुधों का भी प्रयोग किया जाने लगा है जिससे व्यापक स्तर पर जन–धन की हानि होती है। युद्ध का नुकसान देशवासियों को लम्बे समय तक भुगतना पड़ता है। इससे देश का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है।

2. दंगा – आज के समय में सहिष्णुता की कमी व धार्मिक कट्टरता के कारण समुदायों के बीच में कभी भी दंगा शुरू हो जाता है, जिससे आगजनी, मारकाट, लूटपाट की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जान–माल की व्यापक क्षति हो जाती है। भारत विभाजन के समय व्यापक मात्रा में हुए दंगों के दर्द को लोग आज भी भूला नहीं पाए हैं।

3. यातायात साधनों संबंधी दुर्घटनाएँ – वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण यातायात के साधनों का विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। मनुष्य की असावधानी, तकनीकी खराबी, नियमों की अवहेलना और अनुशासनहीनता के कारण आए दिन सड़क, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। भारत में प्रतिवर्ष भारी संख्या में ये दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं, कई अपंग हो जाते हैं, जिसके कष्ट को वे जीवन भर सहते हैं।

4. औद्योगिक /रासायनिक दुर्घटनाएँ – आधुनिक दुनिया में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के साथ रसायनों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। जहाँ रसायन मानव के लिए वरदान है, वहीं मानवीय गलती और तकनीकी खराबी के कारण औद्योगिक एवं रसायनिक दुर्घटनाएँ घटित हो जाती हैं जिनका परिणाम अनेक पीढ़ियों को भुगतना पड़ता हैं। भारत की प्रमुख घटनाओं में से एक 1984 की भोपाल गैस त्रासदी है। इसमें यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। इससे तीन हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई व इससे प्रभावित जीवित बचे हजारों लोग मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाओं से जान–माल की हानि के साथ पर्यावरण को भी व्यापक क्षति होती है।

5. नाभिकीय दुर्घटनाएँ – नाभिकीय आयुधों के प्रयोग के कारण ही नाभिकीय दुर्घटनाएँ घटित होने की संभावनाएँ बनी रहती है। एक अकेला नाभिकीय आयुध बड़े से बड़े पारम्परिक विस्फोटकों से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्रमशः से जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर अणुबम गिराया, जिससे दोनों नगरों का अधिकांश भाग तत्काल नष्ट हो गया। नगरों के अधिकतम भागों में आग लग गई। इस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गए तथा घायल हो गए।

   नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों में भी दुर्घटनाएँ होती हैं। इनसे होने वाले रेडियोऐक्टिव विकिरण जीवों को भारी हानि पहुँचाने वाले होते हैं।

आपदा प्रबंध से संबंधित संस्थाएँ

आपदा प्रबंध में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ मदद करती हैं, जिनका ज्ञान शिक्षक एवं विद्यार्थियों को होना आवश्यक है।

सरकारी संस्थाएँ

आपदा प्रबंध से संबंधित सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार विभाजित किया जा सकता है–

1. **केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ–**

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल
- केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंध समूह
- केंद्रीय सहायता आयुक्त की अध्यक्षता में संकट प्रबंध समिति
- तकनीकी संगठन– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (चक्रवात व भूकंप), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, इत्यादि।

2. **राज्य स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ –**

- मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति– राहत आयुक्त/ आपदा प्रबन्ध आयुक्त, राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं।

3. **जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु संस्थाएँ–**

- जिला कलेक्ट्रेट – जिला स्तर पर राहत पहुँचाने की प्रमुख जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, इस हेतु जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन (नागरिक सुरक्षा विभाग), आपदा प्रबन्धन विभाग के माध्यम से राहत पहुँचाने का कार्य करता है।

4. **खण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर की संस्थाएँ** – खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व ग्राम सेवक आपदा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं।

गैर सरकारी संस्थाएँ

सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त आपदा प्रबन्ध में कुछ गैर–सरकारी संस्थाएँ भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।

- रेड–क्रास सोसायटी
- राष्ट्रीय सेवा योजना (**N.S.S**)
- राष्ट्रीय केडेट कोर (**N.C.C**)
- होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा
- नेहरू युवा केन्द्र, इत्यादि

आपदा प्रबन्ध के चरण

आपदा प्रबन्ध को सामान्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। ये चरण हैं–

1. आपदा पूर्व प्रबन्ध
2. आपदा के समय प्रबन्ध
3. आपदा के पश्चात् प्रबन्ध

'आपदाएँ कभी भी कहकर नहीं आती, अनायास आ जाती हैं'। अतः इनके लिए पूर्ण प्रबन्ध अति आवश्यक है।

यहाँ बाढ़ का उदाहरण लेकर आपदा प्रबन्ध के चरणों का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है।

1. **आपदा पूर्व प्रबन्धन** – किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करके आपदा से होने वाले प्रभाव एवं नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा से पूर्व निम्न तैयारियाँ करना आवश्यक है।

- फर्स्ट एड बॉक्स एवं आवश्यक दवाईयाँ
- खाद्य सामग्री एवं शुद्ध जल का भंडारण
- आपदा प्रबन्ध में सहायक संस्थाओं जैसे–स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्ध विभाग, इत्यादि के फोन/मोबाइल नम्बर
- परिवार के सदस्यों के फोटो एवं मोबाइल नम्बर।
- सुरक्षित स्थानों की सूची एवं वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का नक्शा व पहुँचने के साधनों की सूची
- मजबूत रस्सियाँ, टॉर्च, वाटरप्रूफ थैले, छाता, लाठी, इत्यादि।

2. **आपदा के समय प्रबन्धन**

- ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों, घरों की छतों पर पहुँचना
- निचले क्षेत्र के रहने वाले लोगों को चेतावनी देना
- भोजन व पानी को सुरक्षित रखना
- बाढ़ के पानी में प्रवेश के समय लाठी/डंडा का सहारा लेना तथा गहरे पानी में जाने से बचना
- साँप एवं अन्य जहरीले कीटों से सावधान रहना

3. **आपदा पश्चात् प्रबंध**

- आपदा (बाढ़) में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना
- जरूरतमंद लोगों के लिए राहत केंद्रों की स्थापना करना एवं घायल तथा बीमार लोगों को राहत केंद्र या अस्पताल पहुँचाना
- बेघर हुए लोगों के लिए आवास, भोजन, पानी एवं कपड़ों की व्यवस्था करना
- बाढ़ के पश्चात् फैलने वाली संभावित बीमारियों से बचने के लिए सफाई व्यवस्था करना, मृतं जानवरों को हटवाना।

आपदा प्रबंध (विद्यालय स्तर पर)

विद्यालय में आपदा प्रबंधन की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? यह एक विचारणीय बिंदु है। आपदा से सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व बताने में विद्यालय की अहम भूमिका है।

विगत कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, जिनमें बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। ये घटनाएँ इस बात का अहसास कराती हैं कि विद्यालय हर दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासक, शिक्षक और विद्यार्थी घटना से पहले बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हों। नकली अभ्यास कर लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाने का कौशल प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालय में सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जरूरी है कि आपदा प्रबंध की योजना तैयार की जाए ताकि आपदा के समय होने वाली हानि को कम किया जा सके।

आपदा प्रबंध योजना के मुख्य बिंदु

- शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन में संवेदनशीलता और जागरूकता
- विद्यालय आपदा प्रबंध समिति का गठन
- संसाधनों की सूची
- संकट की पहचान एवं आकलन
- भवन का मानचित्र जिससे सुगम मार्ग ढूंढा जा सके और सुरक्षित स्थान तक पहुँच बन सके।
- आपदा दलों का गठन एवं समय–समय पर प्रशिक्षण
- नकली अभ्यास (प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण)
- योजना का पुनरावलोकन, स्वीकृति, आधुनिकीकरण

- अग्निशमन यंत्र आदि लगाना।
- दमकल सेवा विभाग, पुलिस विभाग, रेडक्रॉस की मदद लेना (दूरभाष नम्बर)।

घर एवं समुदाय में आपदा प्रबंध

घरों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संकटों से बचाना उसमें रहने वाले लोगों का ही दायित्व है। यह ऐसा दायित्व है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए।

- घर के सभी सदस्यों को अपनी–अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराना, साथ ही समय–समय पर नकली अभ्यास करते रहना।
- संकट की पहचान व आकलन करना।
- घर में उपयोग में लिए जाने वाले संसाधनों की सूची एवं उनको रखने का स्थान नियत होना।
- परिवार आपदा किट तैयार करना – जैसे परिवार के सदस्यों का फोटो, रिश्तेदारों और मित्रों के फोन नम्बर, आपदा प्रबंध से संबंधित विभागों के फोन नम्बर, आवश्यक दवाइयाँ, जरूरी दस्तावेज, भोजन की सूखी वस्तुएँ, प्राथमिक उपचार बक्सा आदि।

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

संरक्षक

- श्रीमती विनीता बोहरा, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

मुख्य समन्वयक

- रश्मि भार्गव, विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- अरविंद शर्मा, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आई.एफ.आई.जी., उदयपुर

संदर्भ व्यक्ति

- श्री उत्पल चक्रवर्ती, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़
- डॉ. रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- डॉ. सरोज पाण्डेय, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- डॉ. अनिता रस्तोगी, एसो. प्रोफेसर, जामामिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- श्री फराह फारूखी, एसो. प्रोफेसर, जामिया, नई दिल्ली
- डॉ. उषा शर्मा, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी,. नई दिल्ली
- श्री आर, मेघनाथन, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- श्री सी.एन. सुब्रमण्यम, एकलव्य, होशंगाबाद, भोपाल
- अंजली नरोन्हा, एकलव्य, होशंगाबाद, भोपाल
- डॉ. एस.सी.जैन, से.नि.शिक्षा अधिकारी, अजमेर
- डॉ. के.के. शर्मा, से.नि.शिक्षा अधिकारी, अजमेर
- डॉ. बीरेन्द्र सिंह रावत, असि.प्रोफे.दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- डॉ. आई.के. बंसल, से.नि. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली
- जयश्री सुब्रमण्यम, टी.आई.एस.एस., हैदराबाद
- डॉ. राजेश कुमार, प्रधानाचार्य, डाइट, दरियागंज, नई दिल्ली
- डॉ. स्मृति शर्मा, एसो. प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- डॉ. अनिल कुमार, सीनियर लेक्चर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली
- श्री शिवजी गोड़, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर
- श्री चंद्र शेखर भारती, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती रेणुबाला चौधरी, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती रंजना कोठारी, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती ज्योत्सना पाण्डेय, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- डॉ. जगदीश कुमावत, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री अनिल दशोरा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती सुषमा अहारी, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- डॉ. द्वारिका प्रसाद नागदा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री सुरेश चंद्र न्याती, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री दलजीत महावर, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

- श्रीमती बीना नाहर, सहायक निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री प्रकाश जोशी, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती अरुणा धवन, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती मधु ओझा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती एलीथिया डी.रोजारियो, आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन, उदयपुर
- डॉ. सुर्दशन एन.पी., आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन, उदयपुर
- गौरी शर्मा, आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन, उदयपुर
- श्री कैलाश रावल, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री इंद्रा चौहान, अनु.सहायक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री रामकुमार आचार्य, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, पंजीयक कार्यालय, बीकानेर
- श्रीमती श्यामा माहेश्वरी, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, पंजीयक कार्यालय, बीकानेर
- श्रीमती इंदुबाला पंवार, रीडर, आई.ए.एस.ई., अजमेर
- डॉ. संजय कुमार शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर, चुरू
- डॉ. शशी चितौड़ा, प्राचार्य, एल.एम.टी.टी. डबोक, उदयपुर
- श्री रिपुदीप भटनागर, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर, चुरू
- डॉ. विद्यानन्द पाण्डेय, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर, चुरू
- श्री अमिताभ शर्मा, व्याखाता, सीटीई, सरदार शहर, चुरू
- डॉ. चित्रा शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर, भरतपुर
- डॉ. सुनीता मुर्डिया, व्याख्याता, एल.एम.टी.टी. डबोक, उदयपुर
- श्री गौतम प्रसाद जोशी, सेवा नि. व्याख्याता, प्रतापगढ़
- डॉ. सुरेश चन्द्र गोयल, व. व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्री पदम मणी वर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर, भरतपुर
- डॉ. सुमन लता शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर, भरतपुर
- श्री विष्णु कुमार खडुरियार, व्याख्याता, सीटीई, हटुंडी, अजमेर
- श्री सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, निम्बार्क, उदयपुर
- श्रीमती आभा मेहता, प्रधानाचार्य डाइट, डूंगरपुर
- श्री सुशील कुमार जैन, प्रधानाचार्य, रा. नगर उ.मा.वि. बांसवाड़ा
- डॉ. रौन क खान, से.नि. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा
- श्री नरेश कुमार माथुर, व्याख्याता, निम्बार्क शि.प्र.महाविद्यालय, उदयपुर
- श्री अर्जुन सिंह सांखला, प्राचार्य लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जोधपुर
- श्री नारायण लाल चौबीसा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, उदयपुर
- श्री मोहन लाल पालीवाल, सेवानिवृत्त, शिक्षा अधिकारी, उदयपुर
- श्री सुभाष चंद्र मंगल, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट मसूदा अजमेर
- श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. सरदारनगर, भीलवाड़ा
- श्री अमित बाहेती, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर लो.मा.ति. शि.प्र. वि.वि. डबोक, उदयपुर
- श्री हामिद हसन खान, व्याख्याता, आई.ए.एस.ई, अजमेर

- सुश्री हुस्न बानो, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, झालरापाटन
- श्री गोपालदास दवे, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
- डॉ. श्यामसुंदर कौशिक, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, चुरू
- श्री लालचंद्र नागर, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बारां
- श्री अश्विनी कुमार, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, हनुमानगढ़
- श्री कृष्णलाल धावरिया, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, अलवर
- श्री भेराराम प्रजापत, वरिष्ठ व्याख्याता, बगड़ीनगर, पाली
- श्रीमती निर्मला शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, उदयपुर
- श्री धनराज दवे, उपप्राचार्य, डाइट, जालौर
- श्री खेताराम चौधरी, उपप्राचार्य, डाइट, बाड़मेर
- श्री उमेशचंद्र शर्मा, उपप्राचार्य, डाइट, भरतपुर
- श्री उगमदान बारहठ, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, जैसलमेर
- श्री मोहम्मद नसीम, प्राचार्य, डाइट, टोंक
- श्री दिनेश उपाध्याय, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, गड़ी, बासंवाड़ा
- श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, प्रधानाचार्य, डाइट, बीकानेर
- श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, चुरू
- श्रीमती प्रेमलता मान, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, झुन्झुनू
- डॉ. अजीतसिंह देथा, उपप्रधानाचार्य, डाइट, कुचामनसिटी, नागौर
- श्री मेघसिंह दुलड़, उपप्रधानाचार्य, डाइट, सीकर
- श्री नाथूलाल कुड़ी, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बगड़ीनगर, पाली
- श्रीमती पुष्पिता लाहिड़ी, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट चुनावड, श्रीगंगानगर
- श्री रिपुसुदन सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
- डॉ. शमीम खान, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, झालरापाटन, झालावाड़
- श्री दुर्गाशंकर मालव, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बारां
- श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, गोनेर, जयपुर
- श्री ओमप्रकाश मोदी, व्याख्याता, डाइट, बारां
- श्री लोकेश पालीवाल, व्याख्याता, डाइट, नाथद्वारा, राजसमंद
- श्री रमाकांत शर्मा, व्याख्याता, डाइट, सीकर
- डॉ. ललितकिशोरी भट्ट, व्याख्याता, डाइट, डूंगरपुर
- श्री दुर्गाराम सुथार, व्याख्याता, डाइट, बगड़ीनगर पाली
- श्री गोवर्द्धनराम, व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
- श्री मदनलाल मीणा, व्याख्याता, डाइट, सीकर
- श्रीमती इंदिरा सहारण, व्याख्याता, डाइट, चुरू
- श्री विजयभान सिंह, व्याख्याता, डाइट, बूंदी
- श्री जसवंतसिंह नरूका, व्याख्याता, डाइट, टोंक
- श्री लालाराम सेन, व्याख्याता, डाइट, जालौर
- श्री सुरेन्द्रसिंह वर्मा, व्याख्याता, डाइट, धौलपुर

- श्री मामराज कुमावत, व्याख्याता, डाइट, सीकर
- श्री विजेंद्रकुमार बसवाला, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. वसी, डूंगरपुर
- श्रीमती सुमनलता, व्याख्याता, डाइट, जोधपुर
- श्री सुरेंद्र उकावत, व्याख्याता, डाइट, डूंगरपुर
- श्री घनश्याम, व्याख्याता, डाइट दौसा
- श्री भंवरसिंह चौधरी, व्याख्याता, डाइट, जोधपुर
- श्रीमती सुनिता कृष्णियाँ, व्याख्याता, डाइट, झुन्झुनू
- श्री तिलकराज, व्याख्याता, डाइट, चूनाव, श्रीगंगानगर
- श्री भैरूलाल वीरवाल, व्याख्याता, डाइट, चित्तौड़गढ़
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. बेहनेरा, भरतपुर
- श्रीमती निशा व्यास, व्याख्याता, डाइट, उदयपुर
- डॉ. रतन लाल कुमावत, व्याख्याता, डाइट, नाथद्वारा
- श्री हनुमान प्रसाद उपाध्याय, व्याख्याता, डाइट, जालौर
- श्री डी.डी. गोतम, व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
- श्री शंकर शर्मा, व्याख्याता, डाइट, जालौर
- श्री धर्मेश जैन, व्याख्याता, डाइट, डुंगरपुर
- श्री नेकराम ओझा, व्याख्याता, डाइट, जालौर
- डॉ. शबनम चतुर्वेदी, रा.बा.उ.मा.वि. रेजीडेन्सी, उदयपुर
- श्री चिमन लाल पुरोहित, व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
- श्री रामकिशोर यादव, व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
- श्रीमती रश्मिपुरी गोस्वामी, व्याख्याता, डाइट शाहपुरा, भीलवाड़ा
- श्री रुद्रेश कुमार दाधीच, व्याख्याता, डाइट, बूंदी
- श्री दुर्गाराम सुथार, व्याख्याता, डाइट, बगड़ीनगर, पाली
- श्री विजेन्द्रकुमार बसवाला, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. वसी डूंगरपुर
- श्री विजयसिंह राजपूत, व्याख्याता, डाइट, उदयपुर
- श्री मांगीलाल दमामी, व्याख्याता, डाइट, जालौर
- श्रीमती दर्शना जैन, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. रेजीडेन्सी, उदयपुर
- श्री बी.एल. नापित, व्याख्याता, डाइट, दौसा
- सुश्री श्रेया, एकलव्य, होशंगाबाद
- सुश्री ज्यासनी शर्मा, एकलव्य, होशंगाबाद
- श्री हिमांशु श्रीवास्तव, एकलव्य, संस्थान, इन्दोर मप्र
- श्री मोहम्मद उमर, सलाहकार, आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन
- श्रीमती अंजली कोठारी, वरि.अध्यापक, रामावि. मटून, उदयपुर
- श्रीमती दमयन्ती शर्मा, व.अ. शा.शि., डाइट, उदयुपर
- डॉ. योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- डॉ. नर्बदा शंकर श्रीमाली, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- डॉ. अमृता दाधीच, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- श्रीमती वनीता वागरेचा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
- डॉ. ममता बोल्या, अनु. सहायक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर